शनिवार,
२२ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शनिवार, २२ अगस्त १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शिमला में स्थान

*७१५. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में स्थित पश्चिमी कमांड मुख्य कार्यालय तथा सशस्त्र सेना के मुख्य कार्यालय के कुछ कार्यालयों को वहां से हटाने की दृष्टि से क्या शिमला में कार्यालय तथा रहने के स्थान के औचित्य तथा उपलब्धता के संबंध में कोई निरीक्षण किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या रहे हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). पश्चिमी कमांड के मुख्य कार्यालय को शिमला ले जाने की दृष्टि से वहां स्थान का एक पूर्वपरीक्षण किया गया था। प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो स्थान वहां अभी खाली पड़े हुए हैं, शिमले में इमारतें वगैरह, उनके लिए भी कोई तजवीज़ की गई है या केवल उन मकानों के लिए की गयी है जो कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में चले गये हैं ?

सरदार मजीठिया : स्थिति यह है कि इस समय वहां जो स्थान उपलब्ध हैं, उसकी अपेक्षा हमें सेना-मुख्य कार्यालय के लिए कहीं अधिक स्थान की आवश्यकता है। यह मुख्य कार्यालय वहां तब ही जा सकता है जब कि शिमला में पंजाब सरकार से स्थान प्राप्त हो जाये।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या पंजाब सरकार की तरफ़ से केन्द्रीय सरकार को यह सूचना मिली है कि उनकी राजधानी चंडीगढ़ जाने के बाद वहां बहुत सा स्थान हमको खाली मिलता रहेगा और ज्यों ज्यों खाली मिलता रहेगा, उसका सरकार प्रयोग करेगी ?

सरदार मजीठिया : यही तो इच्छा है। ज्यों ही स्थान मिलता है, यह प्रश्न कि हम यह मुख्य कार्यालय वहां ले जा सकते हैं या नहीं अन्तिम रूप से निश्चित हो जायेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : स्थान की जांच किसके द्वारा करायी गई है और उसने क्या रिपोर्ट पेश की है ?

सरदार मजीठिया : पश्चिमी कमांड के जी० ओ० सी० ने स्वयं, कुछ अन्य अधिकारियों के साथ, यह आरम्भिक पर्यालोकन किया था ।

श्री एस० सो० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार वहां इमारतें बनाने का है, क्योंकि उपलब्ध स्थान प्राप्त करने में, जिसका उपयोग पंजाब सरकार कर रही है, इतना अधिक हो रहा है ?

सरदार मजीठिया : स्वभावत: सरकार यह बहुत सी बातों की इच्छा करती है । यह सत्य है कि इमारतें बनानी पड़ेंगी । विशेषकर संचरण, बेतार आदि के लिए, और यह किया जायेगा ।

श्री गिडवानी : शिमला में राष्ट्रपति निवास का, जो क्रियात्मक रूप में दस दिन के अतिरिक्त वर्ष भर बन्द पड़ा रहता है, उपयोग करने का क्या सरकार का कोई विचार है ?

सरदार मजीठिया : वहां का राष्ट्रपति निवास इस प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त, इसका पहिले ही उपयोग किया जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला में जो इस वक्त खाली इमारतें हैं उनमें कितनी डिफेंस सर्विसेज के प्रयोग में हैं ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, जैसा कि मैं ने बताया रक्षा मंत्रालय का समस्त स्थान रक्षा मन्त्रालय के अधीन है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी मेरा मतलब उन इमारतों के बारे में जानने से है जो सिविल यूज़ की हैं और सरकार की सम्पत्ति हैं और जो खाली पड़ी है, उनका हिस्सा फौजी प्रयोग में है और कितना आने वाला है ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मामले की जांच हो रही है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यहां स्थान की कमी का कारण मुख्य कार्यालय दिल्ली से शिमला बदला जा रहा है, या कुछ और कारण हैं ?

सरदार मजीठिया : यह सत्य है कि दिल्ली में स्थान की बहुत कमी है । अत: वैकल्पिक स्थानों की खोज हो रही है ।

आय-कर कर्मचारी

*७१६. **श्री पुन्नूस :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के आयकर कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिस में उन्हों ने अपनी शिकायतों की सूचना दी है ?

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की शिकायतें तथा मांगें क्या हैं ?

(ग) सरकार ने इन कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है या करने का विचार रखती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां । सरकार को ट्रावनकोर-कोचीन में आयकर विभाग के श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कर्मचारियों की संस्थाओं की ओर से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण, जिस में यह जानकारी है, सदन पटल पर रखा

जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]

श्री पुन्नूस: विवरण में कहा गया है कि कर्मचारियों के श्रेणीकरण का कई बार पुनरीक्षण किया गया है और जहां भी रूपभेद ठीक जंचे किए गए हैं । क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में विस्तार से हमें कुछ बता सकते हैं ?

श्री एम० सी० शाह: पहली बार तो दो नौकरियों को एक ही स्तर पर लाया गया । कोचीन में क्लर्क का पद था जिस का वेतन स्तर १००–५–१२५ था और ट्रावनकोर में निरीक्षक के पद का यही वेतन स्तर था । पुनरीक्षण के फलस्वरूप इन दोनों पदों का स्तर अपर डिवीज़न क्लर्क के बराबर कर दिया गया जिस का वेतन स्तर ८०–५–१२०-इ० बी०-८–२००–१०/२–२१० होता है । अब उन्हें राजस्व तथा व्यय मंत्रालय की स्वीकृति के साथ आयकर निरीक्षक के बराबर कर दिया गया है जिस का वेतन स्तर १२५–१६०–१०–३०० होता है । अन्य सभी पदों के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि उन की स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए ।

श्री पुन्नूस: क्या यह सच है कि राज्य के भूतपूर्व आयकर कर्मचारियों को, जो १० या १५ वर्ष तक काम कर चुके हैं, नई व्यवस्था में उस स्तर से नीचे रखा गया है जिस पर कि उन से कम प्राथम्य वाले कर्मचारी काम करते हैं ?

श्री एम० सी० शाह: जैसा कि मैं ने कहा, पदों के प्रश्न पर विचार किया गया था । सच तो यह है कि अब उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक वेतन मिल रहा है । अब उन का वेतन स्तर पहले की अपेक्षा अधिक कर दिया गया है ।

श्री पुन्नूस: विवरण की संख्या ३ में कहा गया है "भाग ख राज्यों के कर्मचारियों के प्राथम्य के सम्बन्ध में नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।" क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अभी उन्हें अन्तिम रूप क्यों नहीं दिया गया और वास्तविक कठिनाई क्या है ?

श्री एम० सी० शाह: गृह मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और जल्दी ही इन को अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

श्री ए० एम० टामस: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रेणीकरण आदेश के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें, महालेखा पाल के कार्यालय के राज्य में स्थित कर्मचारियों तथा अंचल के कर्मचारियों को सामान्यत: हैं, क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी कि इन सारी शिकायतों की जांच की जाय ?

कुमारी एनी मस्करीन: श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि दो परस्पर विरोधी आदेश जारी किए गए हैं जिन का शिकार निरीक्षकों को बनाया जा रहा है ?

श्री एम० सी० शाह: जी, नहीं । ऐसी बात नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि श्रेणीकरण तथा पदों को एक ही स्तर पर लाने के सम्बन्ध में कितने मामले अभी तक तै नहीं हुए जिन से सम्बद्ध कर्मचारियों को मानसिक क्लेश हो रहा है ?

श्री एम० सी० शाह: जैसा कि मैं ने कहा, इन सब मामलों को निपटाया जा चुका है । अब मानसिक क्लेश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सभापति महोदय: अगला प्रश्न ।

श्री वी० पी० नायर: हमें कभी सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिले ।

श्री पुन्नूस: मैं यह कहनाचाहता हूं कि प्रथा यह है कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य को अन्तिम बार एक अवसर दिया जाता है ।

सभापति महोदय : अन्तिम बार नहीं बल्कि पहली बार । सच तो यह है कि माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछन के दो तीन अवसर दिए गए ।

पेप्सू में सशस्त्र सेना

*७१७. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पेप्सू की विभिन्न देशीय रियासतों के एकीकरण से पहले उन की सशस्त्र सेनाओं की संख्या कितनी थी और उन में कौन कौन लोग थे ?

(ख) इन सेनाओं के किन अंशों को केन्द्रीय सरकार की सेनाओं में मिला लिया गया ?

(ग) उन लोगों के सम्बन्ध में क्या किया गया जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने नौकर नहीं रखा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) भूतपूर्व रियासतों की सेनाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्हें नियमित सेना में नहीं रखा गया निम्नलिखित कार्यवाही की गई :

(१) जो लोग नियमित सेना में काम नहीं करना चाहते थे उन्हें रियासती सेनाओं की सेवा की तत्कालीन शर्तों के अधीन काम से हटा दिया गया ।

(२) जिन लोगों ने भारतीय सेना में काम करने की इच्छा प्रकट की, परन्तु जिन्हें उपयुक्त नहीं समझा गया उन्हें सेना छोड़ने की रियायतें दे कर काम से हटा दिया गया ।

केन्द्रीय सरकार तथा पेप्सू सरकार ने उन लोगों को फिर से बसाने के लिए, जिन्हें भारतीय सेना में नहीं रखा गया, विभिन्न कार्यवाहियां की हैं, उदाहरणार्थ :

(१) पेप्सू सरकार ने रिक्त होने वाले कुछ प्रतिशत स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रखे हैं ।

(२) कुछ संस्थाओं में व्यवसायिक तथा टेक्नीकल ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया गया है ।

(३) इन में से बहुत से व्यक्तियों को भूमि दे कर बसाया जायगा ।

(४) भूतपूर्व सैनिकों की एक मोटर यातायात संस्था बनाई गई है । दूध देने वाले पशु तथा मुर्ग़ियां आदि रखने, आटे की चक्कियां लगाने आदि के सम्बन्ध में अन्य संस्थायें संगठित की जा रही हैं ।

(५) भूतपूर्व सैनिकों को गहन खेती करने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कुछ प्रकार के लाभ गिनवाए हैं जो उन लोगों को होंगे जिन्हे भारतीय सेना में नहीं रखा गया । श्रीमान क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन में से कितने लोगों को अभी तक ये लाभ पहुंचे हैं और कितने ऐसे हैं जिन के मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

सरदार मजीठिया : लगभग ५० प्रतिशत को तो भारतीय सेना में रख ही लिया गया है । बाकी को नहीं रखा गया । लगभग

३६८ को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अन्य ४००० भूतपूर्व सैनिकों को भूमि पर बसाने की योजना तो है ही और उस के अधीन सभी आ जाते हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि उन लोगों के प्राथम्य तथा सेवा काल की शर्तों का प्रश्न कैसे तै किया गया है? क्या सरकार को कुछ व्यक्तियों की ओर से यह अभ्यावेदन मिला है कि इन दो बातों के सम्बन्ध में उन से अन्याय हुआ है?

सरदार मजीठिया: दो एक मामलों को छोड़ कर और कोई अभ्यावेदन नहीं मिला और उन के मामलों के सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि उन के साथ पूरा पूरा न्याय किया गया है।

श्री पुन्नूस: क्या मैं ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या पूछ सकता हूं जिन्हें अलग किया गया, या तो इसलिए कि वे भारतीय सेना में काम करने को तैयार नहीं थे और या इसलिए कि उन्हें सेना के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया?

सरदार मजीठिया: सरकार के लिए ऐसे लोगों के आंकड़े रखना बड़ा कठिन है जो सरकार के लिए काम नहीं करना चाहते और जो उपयुक्त नहीं होते, हम उन्हें बिल्कुल भूल जाते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं कि जो फौजी विस्थापित लोग हैं पैप्सू में और जिन के लिए प्रबन्ध किया गया था, उसी तरह बाकी रियासतों में भी किया गया था और इसी के साथ यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन को फिर से बसाने का कोई प्रबन्ध किया गया है?

सभापति महोदय: यह प्रश्न पैप्सू के सम्बन्ध में है और इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि इस का क्षेत्र बढ़ा दिया जाय।

श्री पुन्नूस: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कितने प्रतिशत लोग भारतीय सेना में रखे गये और कितने प्रतिशत को अलग कर दिया गया?

सरदार मजीठिया: मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह संख्या ५० प्रतिशत है। यदि माननीय सदस्य ठीक ठीक आंकड़े जानना चाहते हों, तो वे तो सदन पटल पर रखे गए विवरण में मिलेंगे परन्तु माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं उन्हें दोहरा देता हूं — "८९४२ व्यक्तियों में से ४२०० को तो पहले ही नौकरियां दी जा चुकी हैं।"

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पटियाला रियासत की सेना जो कि विशेष प्रकार की थी, वैसी ही रहने दी गई है? उदाहरण के लिए इस में कुछ घुड़सवार दस्ते थे, क्या वे रहने दिए गए हैं?

सरदार मजीठिया: श्रीमान् मैं प्रश्न को ठीक प्रकार समझा नहीं हूं। 'प्रकार' एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। परन्तु यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि टुकड़ियां पहले की तरह ही रहने दी गई हैं तो उस का उत्तर यह है कि सम्मिलन के बाद कुछ परिवर्तन तो होना ही था और अन्य लोगों को लेकर एक टुकड़ी बनायी गई। तो यह स्वभाविक ही है कि उस टुकड़ी में वही लोग नहीं होंगे जो पटियाला रियासत की सरकार के अधीन थे।

विलीन राज्यों के शासकों को करों से विमुक्ति

*७१८. **श्री दाभी:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) विलीन राज्य के शासकों की

दरबारी तथा निजी सम्पत्ति किस प्रकार के करों (स्थानीय करों सहित) से मुक्त है ; और

(ख) यह विमुक्ति देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) शासकों की निम्नलिखित श्रेणियों की सम्पत्ति आय-कर से मुक्त की गई है :

(१) शासक का निजी कोष ;

(२) उन की सरकारी सिक्यूरिटियों पर सूद ; और

(३) जो निवास स्थान उन के सरकारी निवास स्थान घोषित किए गए हैं, उन का वार्षिक किराया मूल्य। स्थानीय करों पर राज्य सरकार के आदेश लागू होते हैं। मंशा यह है कि शासक के साथ किए गए करार के अधीन यथासम्भव वही स्थिति बनाए रखी जाय जो कि १५ अगस्त १९४७ के फौरन बाद थी ।

विलय तथा एकीकरण करारों में यह आश्वासन दिया गया है कि ये विमुक्तियां जारी रहेंगी ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई राज्य के भूतपूर्व शासकों की निजी सम्पत्ति स्थानीय करों से मुक्त कर दी गई है और यदि हां तो क्या माननीय मंत्री करार का वह भाग पढ़ कर सुनाएंगे जिस द्वारा इन सम्पत्तियों को स्थानीय करों से मुक्त किया गया है ?

डा० काटजू : ये सारे करार एक पुस्तक के रूप में छपे थे और मेरा विचार है कि वह पुस्तक सदन पटल पर रखी गई थी । यदि मेरे माननीय मित्र यह विशेष जानकारी चहाते हों तो मैं यह अभी प्राप्त कर लेता हूं ।

श्री दाभी : श्रीमान् मैं तो केवल स्थानीय करों की बात कर रहा हूं, अन्यों की नहीं ।

डा० काटजू : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या अभी जो ऐस्टट ड्यूटी बिल पास हुआ है, उस एस्टेट ड्यूटी से भी उन की प्रापर्टी एग्ज़ैम्प्ट होगी ?

सभापति महोदय : अभी तो पास नहीं हुआ है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : ऐस्टेट ड्यूटी से भी क्या वह प्रापर्टी एग्ज़ैम्प्ट होगी ? कांस्टीट्यूशन में जो एग्ज़ैम्प्शन ऐक्स रूलर्स को दिया गया है, क्या स्टेट ड्यूटी से भी उन की प्राइवेट प्रापर्टी एग्ज़ैम्प्ट होगी ?

सभापति महोदय : सम्पदा शुल्क विधेयक (एस्टेट ड्यूटी बिल) तो अभी सदन के सामने आ रहा है ।

श्री वी० पी० नायर : भूतपूर्व शासकों के साथ करार तथा संविदा के अधीन यह निश्चित किया गया है कि उन्हें अपनी अचल तथा चल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कुछ बातें बतानी होंगी । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रख सकते हैं ?

डा० काटजू : मुझे इस सम्बन्ध में पूछ ताछ करनी होगी और मैं यथासम्भव सदन की इच्छा पूर्ति करूंगा।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भूतपूर्व शासकों की कर मुक्त सम्पत्ति, उत्तराधिकार में किसी और को मिलने पर भी कर मुक्त रहेगी ?

डा० काटजू : सम्भव है कि सम्पदा शुल्क विधेयक के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे परन्तु साधारणतया निजी कोष जिन व्यक्तियों

को मिलता है, कर मुक्त सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भी वही होंगे ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजाओं से जो सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं यह कुछ लिमिटेड समय के लिये हैं या आजीवन काल के लिये हैं ?

डा० काटजू : वे मुस्तक़िल हैं, जब तक यह कांस्टीट्यूशन क़ायम है, राजाओं के लिए और उन की औलाद के लिये भी जिन को कि प्रीवी पर्स मिलेगा और जिन को प्रैसीडेंट ऐक्स रूलर मुक़र्रर फ़रमावेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि जो सम्पत्ति कर से छूट राजाओं को मिली हुई है वह इन राजाओं के जीवन तक ही चलेगी वा पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलेगी और यदि चलेगी तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने की कोशिश कर रही है ?

डा० काटजू : पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी । आप सवाल मुझ से क्या पूछ रहे हैं ? कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के सामने तीन वर्ष पहले यह सब बहस हो चुकी है । सरदार पटेल ने बार बार कहा है कि सब मामला तय हो चुका है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मुक्ति सम्बन्धी यह करार शासक के जीवनकाल तक रहेगा अथवा सदा के लिये रहेगा ?

डा० काटजू : दुर्भाग्यवश यह बात समय समय पर राष्ट्र भाषा में इस प्रकार बताई गई है । इस प्रश्न का यह उत्तर है कि ये पीढी दर पीढी चलती रहेंगी ।

महिलाओं का बचत आन्दोलन

*७१९. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के बचत आन्दोलन को ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से कहां तक सहयोग मिल रहा है ;

(ख) इस आन्दोलन से आज तक कितना धन प्राप्त हो चुका है ;

(ग) भाग लेने वाली संस्थाओं के लिए सरकार ने कितना अनुदान स्वीकार किया है ;

(घ) भाग लेने वाली संस्थाओं के बीच उस अनुदान का वितरण किस प्रकार होगा ; और

(ङ) इस बचत आन्दोलन में कितनी अखिल भारतीय संस्थाओं को भाग लेने के लिये प्रार्थना की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) से (ङ) मैं ५ और १३ अगस्त, १९५३ को क्रमशः इस विषय से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या १५२ और ४७८ के उत्तर में पहले ही बतला चुका हूं कि मार्च १९५३ में कई एक स्थानों पर महिलाओं का बचत सप्ताह मनाया गया जिस के परिणामस्वरूप ४२ लाख रुपय इकट्ठे हो गये । उस सप्ताह के उत्साहवर्द्धक परिणामों के आधार पर यह निश्चय हो पाया कि महिलाओं का बचत आन्दोलन और भी अधिक नियमबद्ध आधार पर चलाया जाय, और अभी हाल में एक ग़ैर सरकारी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति बनाई गई है जो इस कार्य के समायोजन तथा पथप्रदर्शन में सहायता देगी और इस देश की सरकारी, विविध महिलाओं की तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं को परामर्श देगी । उक्त समिति की पहली बैठक इस मास के तीसरे दिनांक

को आयोजित की गई, और यह विचार किया जाता है कि अगली अक्तूबर से इसी समिति के अध्यक्षत्व में विशद रूप से आन्दोलन चलाया जायगा । यह भी सोचा जाता है कि प्रथम वर्ष में, विविध प्रकार की १०० संस्थाओं को चुना जायगा जो अधिकृत रूप से छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करेंगी । इन संस्थाओं को कोई भी अनुदान नहीं मिलेगा, बल्कि बारह वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के विक्रय पर इन्हें १ १/४ प्रतिशत साधारण कमीशन मिला करेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं ?

श्री ए० सी० गुहा : एक शासकीय अधिसूचना में उनके नाम पत्रों में प्रकाशित किये जा चुके हैं । यों तो, उनके नाम निम्न में दिये जाते हैं, जिन्हें मैं पढ़ के सुना दूंगा । सभापति : श्रीमती हन्ना सेन; सभा सदस्यायें : श्रीमती एम० के० वेलोड़ी, श्रीमती डी० एल० मजूमदार, श्रीमती ज्ञानकुमारी हेडा, श्रीमती गुलिस्तान बिलिमोरिया, श्रीमती नल्लामुत्तु राममूर्त्ति, श्रीमती लीला दामोदर मेनन, श्रीमती रेणुका रे (मेरा विचार है कि आप ने सदस्यता अस्वीकार की है, और इन के स्थान पर कुमारी मीरा दत्त गुप्त का नाम रखा गया है), श्रीमती पुष्पलता दास, श्रीमती भारती देवी रंगा, श्रीमती विमलाबाई देशमुख, श्रीमती पुष्पवती महता, श्रीमती पी० नायडू तथा कुमारी प्रेमवती थापड़ ।

सरदार ए० एस० सहगल : केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा क्या निश्चय हुआ था ?

श्री ए० सी० गुहा : यह भी हाल ही का मामला है और पत्रों में प्रकाशित हो चुका है । उक्त समिति ने कई संकल्प पारित किये, और उन में से सब से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस कमेटी द्वारा आठ करोड़ रुपये का लक्ष्य निश्चित किया जा चुका है । और उन्होंने ऐसी नौ महिला संस्थायें चुन ली हैं जिनकी सहायक अथवा जिनसे सम्बद्ध संस्थाओं को इस प्रयोजन के लिये अधिकृत एजेन्टों के रूप में काम करने की आज्ञा दी जायगी ।

लाला अचिन्त राम : क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतला सकेंगे कि कौन से प्रदेश हैं जहां इस मूवमेन्ट (आन्दोलन) ने ज्यादा प्रगति की है ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, यह बड़ा अस्पष्ट प्रश्न है । यह संभव नहीं कि .....

लाला अचिन्त राम : किन किन राज्यों में उक्त आन्दोलन की अधिक प्रगति रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं हिन्दी में इस प्रश्न को भली भांति समझ सका हूं । किन्तु इस सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि किस राज्य ने प्रति की है और कौनसा राज्य पीछे रहा है । मेरा विचार है कि सभी राज्यों के कई चन्दे इकट्ठे किये हैं, और कुछ दिन पहले मैं सदन पटल पर उस के आंकड़े रख चुका हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि महिलाओं के बचत सप्ताह में कितना धन इकट्ठा किया गया था, तथा तब से कितना धन इकट्ठा हुआ ?

श्री ए० सी० गुहा : ४२ लाख रुपये इकट्ठे किये जा चुके हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न था कि उस सप्ताह में कितना धन इकट्ठा किया गया और तब से कितना धन इकट्ठा हो सका ।

श्री ए० सी० गुहा: उस सप्ताह में ४२ लाख रुपये इकट्ठे किये जा चुके हैं। कई जगहों में एक सप्ताह तक और कई स्थानों में एक पखवाड़े तक आन्दोलन चलता रहा, और आन्दोलन में ४२ लाख रुपये इकट्ठे किये जा चुके हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: अभी अभी माननीय मंत्री ने बतलाया है कि स्थायी आधार पर एक समिति स्थापित की जा चुकी है। अतः एव इस के सम्बन्ध में मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री ए० सी० गुहा, मैं बतला चुका हूं कि एक सप्ताह के आन्दोलन में ४२ लाख रुपये इकट्ठे किये जा चुके हैं, और अभी हाल में एक स्थायी समिति स्थापित की गई है, जो अक्तूबर से ले कर एक वर्ष तक के लिये आन्दोलन करती रहेगी। इस के बाद से धन इकट्ठा करने का कोई भी प्रश्न अभी उठा नहीं हैं। मैं यह भी बतला चुका हूं कि हमारा लक्ष्य एक वर्ष में आठ करोड़ रुपये इकट्ठा करने का है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं जान सकती हूं कि क्या इस बात के सम्बन्ध में कोई पुनर्विलोकन किया जा चुका है कि महिलाओं से विविध भागों—कृषक, कामकर तथा मध्य वर्गीय—में कितना धन इकट्ठा किया जा चुका है?

श्री ए० सी० गुहा: मुझे संदेह है कि इस प्रकार के आंकड़े मेरे पास नहीं मिल सकेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह: इस आर्गनाइज़ेशन को संगठित करने में एकस्पेन्सेज कितने होंगे ?

श्री ए० सी० गुहा: अधिकृत एजेन्टों पर किये गये साधारण व्यय के मुकाबले में उस महिला-आन्दोलन पर व्यय किया धन बहुत ही कम था।

घटिया दर्जे की कच्ची मैंगनीज धातु का काम में लाया जाना

*७२०. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या धातुविज्ञान प्रयोगशाला में घटिया दर्जे की कच्ची मैंगनीज़ धातु को काम में लाने की कोई नई प्रणाली निकाली है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रणाली के प्रचार के लिये क्या कार्यवाही की है तथा किस प्रकार इस प्रणाली से खान मालिकों को लाभ पहुंचेगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख): भारतीय खान ब्यूरो ने राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर की सहायता से प्रयोगशाला में जो भी प्रयोग किये उन से यह सिद्ध हो चुका है कि घटिया दर्जे की कच्ची धातुओं को अच्छे काम में लाया जा सकता है। अब तो यह सोचा जा रहा है कि अग्रिम संयंत्रों द्वारा गवेषणा की जायेगी। इन संयंत्रों के बनने पर उस उद्योग को परामर्श दिया जायगा।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मैं जान सकता हूं कि मैटुलर्जिकल कार्यालय को स्थापित करने में कितना खर्च लगेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: ग़ालिबन आप का इशारा पाइलट स्केल कारखाने की ओर है। मैं इसके बारे में यह तो नहीं कह सकता कि इस में क्या खर्च होगा, लेकिन सेन्ट्रल प्राविन्सेज़ मैंगनीज़ और कम्पनी ने अपना कारखाना लगा दिया है और ग़ालिबन कुछ हफ्तों के बाद पाइलट प्लेन्ट वहां चालू हो जायगा।

सरदार ए० एस० सहगल: मध्य प्रदेश में जो मैंगनीज़ है उस में जो घटिया

किस्म का है क्या उस से कुछ बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, लेबोरेटरी में किया गया है । और इस लिये मैं ने अर्ज़ किया कि सी० पी० में एक मैग्नीज़ ओर कम्पनी है जो कि इस को इंडस्ट्रियल स्केल पर करने जा रही है और कुछ हफ्ते के अन्दर उस का कारखाना चालू हो जायगा ।

भारतीय नाविक पोतघाट-हातों के कर्मचारियों की मांगें

*७२३. **श्री गिडवानी:** (क) रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भारतीय नाविक पोतघाट-हातों के कर्मचारियों ने बम्बई में २८ मई, १९५३ को "मांग दिवस" मनाया जिस पर उन्होंने ऐसे बिल्ले लगाये थे जिनसे यह व्यक्त होता था कि उनकी मांगों को पूरा करने में देर होने के परिणामस्वरूप उन्होंने विरोध किया है ?

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी ज्ञान है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने का निश्चय किया है ?

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है ?

(घ) यदि हां तो उनका निश्चय क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) सरकार जानती है कि २८ मई, १९५३ को भारतीय नाविक पोत घाट-हातों के कई कर्मचारियों ने कई प्रकार के बिल्ले लगा कर 'मांग दिवस' मनाया था ।

(ख) भारतीय नाविक पोतघाट-हाता कर्मचारी संघ की ओर से एक सूचना मिली थी कि १५ जून, १९५३ से पोतघाट-हातों के कर्मचारी अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करेंगे किन्तु बाद में उन्होंने वह नोटिस वापिस लिये, और इस के परिणाम-स्वरूप हड़ताल नहीं हुई ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) उक्त संघ की जो बड़ी बड़ी मांगे थीं, वह यहां भी दी जाती हैं :—

(१) कल्याणवाला कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय ।

(२) गाडगिल कमेटी की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय ।

(३) फायर-ब्रिगेड (आगबुझाऊ टुकड़ी) कर्मचारीवर्ग का श्रेणीकरण ।

(४) उक्त संघ को स्वीकृति दी जाय ।

कल्याणवाला कमेटी की रिपोर्ट की बड़ी बड़ी सिफारिशों पर तो सरकारी आदेश जारी किये जा चुके हैं । इस समिति की अन्य सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है । गाडगिल कमेटी की सिफारिशों तथा फायर-ब्रिगेड कर्मचारीवर्ग के श्रेणीकरण से सम्बन्धित आदेश भी दिये जा चुके हैं । उक्त संघ को स्वीकृति दिये जाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री गिडवानी: क्या मैं जान सकता हूं कि गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार कब तक अंतिम निश्चय करेगी ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं तो बतला चुका हूं कि गाडगिल कमेटी की सिफारिशों से सम्बन्धित आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं ।

श्री जोकीम आल्वा: क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि बम्बई स्थित नाविक पोतघाट-हाते में, विशेषत: पिछले युद्धकाल से जब कि ब्रिटिश सरकार ने

प्रसिद्ध और अब दिवंगत बी० जी० हार्निमैन द्वारा संपादित "दि बाम्बे सेन्टिनल" अंग्रेज़ी दैनिक को बन्द करने का अपूर्ववर्गी कार्यवाही की थी, गड़बड़ होती रही है, और तब से यह गड़बड़ बराबर जारी है, और क्या मैं जान सकता हूं कि उन हड़तालियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्त्ताव करने के लिये सरकार किस प्रकार की तत्काल एवं दीर्घकालीन कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं इस संघ के पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता । यह सच है कि १९४७ में एक हड़ताल हुई थी, और उस के बाद उक्त संघों में दलबंदियां होने लगीं । कई मुकदमे चले और उच्च न्यायालय तक यह मुकदमे पहुंचाये गये । अभी भी वहां दो कामकर संघ हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किन्तु अभी हाल में कोई भी हड़ताल नहीं हुई है ।

श्री रघुनाथ सिंह: इन वर्कर्स ने अब तक साल भर के अन्दर कितने स्ट्राइक किये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं ने अर्ज़ किया कि कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है । स्ट्राइक का नोटिस आया था। जब उनको समझाया गया कि उन के डिमान्ड पर गौर हो रहा है तो उनकी समझ में आ गया और स्ट्राइक का नोटिस विदड्रा हो गया ।

श्री गिडवानी: इस संघ का पुन: संगठन कब होगा ?

श्री सतीश चन्द्र: श्रीमान्, मैं बतला चुका हूं कि यह मामला विचाराधीन है । सचाई तो यह है कि इस संघ के सभापति, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष में से जिस किसी भी पदाधिकारी ने स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा था, कोई भी व्यक्ति इस समय पोतघाट-हाते में काम नहीं कर रहा है, और सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना है ।

अंडमान निकोबार द्वीप में नरतत्वीय परिमाप

*७२५. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लेर बन्दरगाह पर एक उपकेन्द्र बनने से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप में नरतत्व विभाग ने क्या कोई नरतत्वीय परिमाप किया था ?

(ख) यदि हां तो उस परिमाप की मुख्य मुख्य खोज क्या हैं ?

(ग) वहां की बर्बर जाति जरवास के सम्पर्क में आने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

(घ) इस उपकेन्द्र के प्रबन्धत्व में अब तक कितनी तथा किस किस स्थान पर खुदाई हुई है ?

(ङ) क्या खोज कार्य उपकेन्द्र में हो रहा है अथवा मुख्यालय में ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). इन खोजों का लेखा पुरातत्व विभाग की पुस्तिका के जनवरी १९५२ के अंक एक संख्या एक में प्रकाशित हो चुका है जिसकी प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। परिणामों के आधार पर कार्य हो रहा है जिसका प्रकाशन इस पुस्तिका के आगामी अंकों में होगा ।

(घ) खुदाई का काम केवल एक स्थान--बीहाइव द्वीप में हुआ था ।

(ङ) खोज कार्य—मुख्यालय तथा उपकेन्द्र दोनों में ही होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस स्टेशन के खुलने से पहले क्या जरवा लोगों से कोई सम्पर्क स्थापित किया गया

था या नहीं, और अगर किया गया था तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

श्री के० डी० मालवीय : सन् १९४८ से प्रायः हर साल कोशिश हो रही है और डाक्टर गुहा, मित्रा, चटर्जी और सरकार के नेतृत्व में एंथ्रापालाजी विभाग से पार्टियां जाती रही हैं इन लोगों से सम्पर्क करने के लिए । अभी तक ज्यादातर सम्पर्क उंग ट्राइब के साथ हो सका है । जरबा लोगों के साथ सम्पर्क नहीं हो सका है । हमको उंग लोगों की भाषा मालूम हो गयी है तो यह आशा की जाती है कि जो दूसरा ऐक्सपिडीशन जायगा तो हम जरबा लोगों के साथ भी सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जो संपर्क पार्टियां डिपार्टमेंट की तरफ से जाती हैं उनमें हिन्दुस्तानी लोग कितने रहते हैं और विदेशी कितने रहते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने अर्ज किया कि सन् १९४८ से १९५२ तक जितनी पार्टियां गयी हैं वे सब हिन्दुस्तानियों के नेतृत्व में ही गयी हैं। सन् ४८ में डाक्टर गुहा गये, सन् ५० में मित्रा गये, ५१ में सरकार गये और ५२ में चटर्जी गये । सन् १९५३ में ज़रूर एक इटालियन लिडियो सिप्रियानी गये जो कि वहां पर के सब स्टेशन के इनचार्ज हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह जो अनुशोधन हो रहा है एंथ्रापालाजी डिपार्टमेंट का उसमें और जो अनुशोधन दूसरे मुल्कों में हो रहा है उसमें कोई फर्क है, या उनमें और आपकी यूनीवरसिटियों में कोई संघर्ष है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे संघर्ष की कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जो उंगिस लोग एंडमान छोड़कर दूसरी जगह जाकर सैटिल हो गये हैं, वहां पर कोई ऐक्सकेवेशन का काम चल रहा है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, ऐक्सेकेवेशन तो कुछ हुए हैं और वहां पर कुछ उंग लोगों के इस्तेमाल करने की चीजें ऐक्सकेवेशन में मिली हैं और उनके सम्बन्ध में सब स्टेशन पर और हैडक्वार्टर्स पर भी जांच पड़ताल हो रही है ? कुछ जरबा लोगों के भी इंस्ट्रूमेंट मिले हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किन आधार पर जारवास को अधिक बर्बर कह गया है ? वे किस प्रकार अधिक बर्बर हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हम नहीं जानते । वे धोखेबाज़ हैं । जब कभी उनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया गया तो वह बच गये । पिछले वर्षों में १८२५ से अब तक वे बर्बर ही रहे हैं । जब कभी भी प्रयत्न किया गया--कई प्रयत्न किये गये--तो उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया तथा रक्त प्राप्त हो गया ।

श्री एन० एम० लिंगम : अंडमान द्वीप की कबाइली जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने में यह नरतत्वीय परिमाप कहां तक सफल हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी इस समय इसके बारे में कुछ कहना बहुत जल्दी होगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इस द्वीप में क्या राष्ट्रीय नमूना परिमाप ने सामाजिक परिमाप का भी कार्य प्रारम्भ किया है ?

श्री के० डी० मालवीय: नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बीहाइब आइलैंड में एक्सकेवेशन का काम हो रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह एंडेमन आइलड्डस में शामिल हैं और क्या बीहाइव आइलेंड और लिटिल एंडमान आइलेंड में हमारे आदमी एक्सकेवेशन करने के लिए भेजे गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : बीहाइव को तो सूचना दी है । वहां तो भेजे गये हैं । मगर दूसरी जगह की सूचना अभी मैं माननीय सदस्य को नहीं दे सकूंगा । मेरे पास वह है नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया: इनकी अनुमानित संख्या क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय: नहीं मालूम ।

काश्मीर में तार तथा टेलीफ़ून

*७२६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतवर्ष तथा काश्मीर सरकार के बीच प्रवेश लेख की शर्तों में यह भी एक शर्त थी कि भारत संघ काश्मीर राज्य के तार तथा टेलीफून व्यवस्था को १ जून १९५३ से अपने हाथ में ले लेगा ?

(ख) यदि हां तो क्या उसे कार्यान्वित किया गया है ?

गृह-कार्य त ा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) ऐसी कोई शर्त तो नहीं थी ; किन्तु प्रवेश लेख में यह बात अभिनिहित है कि जैसे ही व्यवस्था पूरी होगी वैसे ही तार तथा टेलीफून को ले लिया जायगा ।

(ख) नहीं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इनको लेने के लिए क्या व्यवस्था होनी है ?

डा० काटजू : इस विषय पर भारत सरकार तथा जम्मू और काश्मीर सरकार के बीच विचार हो रहा है । सरकारी स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि इन्हें लेने के लिए अंतिम तिथि १५ जुलाई से पूर्व निश्चित की गई थी । किन्तु फिर भी सम्पत्ति की सूची जो कि दी जाती है उसके बारे में कुछ कठिनाइयां आ गईं । मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण बातें निकट भविष्य में अंतिम रूप से निश्चित हो जायेगी ।

श्री टी० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक काश्मीर की डाक तथा तार सेवाओं की देख रेख का भार किसके ऊपर था ? क्या भारत सरकार करती थी अथवा काश्मीर राज्य सरकार ।

डा० काटजू : इस प्रश्न के ठीक उत्तर के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिए । मैं ठीक ठीक आंकड़े नहीं दे सकता ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या राज्य का डाक विभाग भारत सरकार के अधीन है ?

सभापति महोदय: यहां हमारा मन्तव्य केवल तार तथा टेलीफून से है ।

डा० काटजू : मैं ने अभी कहा था कि इस मामले पर विचार हो रहा है और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में अंतिम रूप से तै हो जायगा । सदन से मेरा निवेदन है कि इस मामले पर अधिक विवाद न बढ़ाया जाय ।

डा० एन० बी० खरे: क्या मिनिस्टर साहब बता सकते हैं कि जब १९४७ में ऐक्सेशन हो गया तो पूरा गौर करने में इतनी देर क्यों लगी ?

डा० काटजू : यह तो मैटर आफ हिस्ट्री है । आप पढ़ लीजिये और मैं भी पढ़ता हूं ।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि काश्मीर राज्य में कही जाने वाली इस शिकायत में क्या कोई तथ्य है कि इन विभागों को केवल हिन्दू ही चलाते हैं ?

डा० काटजू : मेरा तो ऐसा विचार नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री से जो कि काश्मीर में तार तथा टेलीफून का खर्चा उठाते हैं पूछा गया था, उन्होंने बताया कि वह आंकड़े नहीं दे सकते ।

डा० काटजू : मैं ने कहा था कि मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिए यही मेरा उत्तर था ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संचरण उन विषयों में से एक विषय नहीं है जिसके लिए काश्मीर भारत सरकार में सम्मलित हुआ है । यदि हां, तो डाक तथा तार को लेने में यथार्थतः क्या कठिनाइयां हैं ?

डा० काटजू : मैं एक विस्तृत उत्तर दे चुका हूं । मैं ने कहा था कि इसके बारे में कुछ विस्तृत बातें हैं जैसे सम्पत्ति सूची का प्रश्न, मुआवज़ा आदि । राज्य सरकार का कहना है कि जब तुम हमारी आस्तियां लेना चाहते हो तो उसके लिए मुआवज़ा दो । वर्ष १९५३ की मार्च और अप्रैल में अंतिम बैठक होने तक यह मामला बड़ी ढील ढाल से चलता रहा । और अंत में इनको लेने के लिए जुलाई १९५३ में एक तिथि निश्चित कर दी गई । किन्तु फिर भी वास्तविक सम्पत्ति जो कि लेनी थी उसके विषय में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई । मैं ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही यह सब बातें अंतिम रूप से निर्णय हो जायेंगी और ये डाक तथा तार विभाग ले लिया जायेगा । मैं चाहता हूं कि सदन कुछ शांति रखे । माननीय सदस्य काश्मीर के इतिहास के विषय में जानते हैं ।

डा० एन० बी० खरे : कुछ गोलमाल है ऐसा आप साफ़ साफ़ कबूल क्यों नहीं करते ?

सभापति : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

दिल्ली के कोतवाली थाने पर बम गिराना

*७२७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के कोतवाली थाने पर २ जून १९५३ को सुबह ही सुबह बम फेंकने के सिलसिले में क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

(ख) यदि हां तो कितने व्यक्तियों को ?

(ग) कितने पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). २ जून १९५३ को दिल्ली कोतवाली थाने पर एक हथगोला फेंका गया । इस मामले की जांच के बीच में ३ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । जांच कार्य अभी तक जारी है ।

(ग) पांच पुलिस कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या इस खोज ने किसी राजनीतिक षड्यंत्र का पता दिया है ?

श्री दातार : मुझे इस समय कुछ प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे यहां कुछ भी कहने से दोषी व्यक्तियों को संभवतः कोई लाभ हो जाय । अतएव मैं उन्हें कृतज्ञ नहीं करना चाहता ।

निज़ाम को ५० लाख रुपयों का भुगतान

*७२८. **श्री गिडवानी** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा ले ली गई उनकी व्यक्तिगत सम्पदा के बदले में निजाम को ५० लाख रुपए वार्षिक भुगतान के संबंध में कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की गई है (जैसा कि जागीरदारी और ज़मीदारी उन्मूलन अधिनियम के आधीन जागीरदारों को मुआवज़ा देने के मामले में किया गया है) ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : निज़ाम को उस्मानियां सिक्का के ५० लाख रुपए हैदराबाद राज्य द्वारा दिए जाते हैं, जिसका एक बड़ा भाग निजाम की व्यक्तिगत सम्पदा, सर्फ-ए-खास के लिए मुआवज़ा है। यह भुगतान वर्तमान निज़ाम के जीवन काल के लिए है।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि निज़ाम के तथा कथित सलाहकार ने एक पुस्तिका प्रसारित की है जिसमें ये घोर आरोप लगाये गये हैं कि भारत सरकार निज़ाम के संबंधियों की भुखमरी के लिए उत्तरदायी थी ?

डा० काटजू : यह सच हो सकता है। यह सचमुच एक तथ्य है कि निज़ाम, मेरे विचार से ऐसे अनेक पुराने अनुचरों की सहायता कर रहे हैं जो निज़ाम के परिवार में लगभग दो शताब्दियों से काम कर रहे हैं। यही दशा बहुत से अन्य राज्यों में भी है। इसका राजनैतिक सेवाओं से कोई संबंध नहीं है।

स्वामी रामानन्द तीर्थ : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि निज़ाम के सर्फ-ए-खास के कर्मचारियों ने अपने वेतन आदि न मिलने के कारण सत्याग्रह किया है ?

डा० काटजू : मैं ने समाचार पत्रों में यह पढ़ा है।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए--

सभापति महोदय : जब तक कि मैं किसी सदस्य का नाम न पुकारूं तब तक उनको प्रश्न पूछना नहीं शुरू करना चाहिए। इस से गड़बड़ी पैदा होती है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह तथ्य है कि निज़ाम ने एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सर्फ-ए-खास की नौकरी में केवल गैर-हिन्दू लोग ही काम पर लगाए जाएं ?

डा० काटजू : मुझे इसका पता नहीं है। मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य ज़मीदारों, राजाओं और महाराजाओं के पास सदियों से काम करने वाले नौकर नहीं हैं, और तब निजाम के मामले में यह विशेष भेदभाव क्यों किया गया है ?

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह बात फिर से दुहराता हूं कि यह एक पुराने इतिहास का विषय है। इस संसद् ने उसका अनुमोदन किया था। जब तक कि आप संविधान को बदल नहीं देते और उस समझौते को रद्द नहीं कर देते तब तक उसको निबाहना चाहिए।

न्यायाधीशों के लिए अतिवयस्कता की आयु

*७२९. **श्री केशवैयंगार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों की अतिवयस्कता की आयु को बढ़ाने का एक प्रस्ताव रखा गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : नहीं।

श्री केशवैयंगार: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे प्रश्न के बाद वाले भागों का उत्तर क्यों नहीं दिया गया ? यदि वे अस्वीकृत कर दिए गए हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि किन कारणों से ?

डा० काटजू : मैं उसकी पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : उसका उत्तर दिया जा चुका है ? प्रश्न के किस भाग से आपका मतलब है ?

श्री केशवैयंगार : मैं ने मूलरूप में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं दिया गया है । विशेष भागों के उत्तर न दिए जाने के लिए कारणों के संबंध में मुझे पहले कोई सूचना नहीं मिली है ।

सभापति महोदय : प्रश्न सूची में प्रश्न जिस रूप में है उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या, निम्नस्थ न्याय-पालिका तथा वकीलों के अन्य विभिन्न संगठनों के भयों को ध्यान में रखते हुए सरकार निश्चित रूप से यह कह देगी कि केन्द्रीय सरकार अतिवयस्कता की आयु बढ़ाने का विचार नहीं कर रही है ?

डा० काटजू : निश्चित नकारत्मक उत्तर से अधिक निश्चित किसी चीज़ की कल्पना मैं नहीं कर सकता ।

जम्मू-काश्मीर में बानीहाल की बैलगाड़ियों की सड़क

*७३०. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य में बानीहाल की बैल गाड़ियों की सड़क की देखभाल के लिए कोई सहायता देती है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो १९४७ से इस सड़क पर व्यय की गई कुल धनराशि क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां ।

(ख) ४१·४३ लाख रुपए ।

बंगाली साहित्यिक को सहायता

*७३१. **सेठ गोविन्द दास :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने एक रोगी बंगाली साहित्यिक को आर्थिक सहायता दी है जिससे कि वह विदेश जाकर अपना स्वास्थ्य सुधार सके ?

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख). हां, श्रीमान् । १९५२-५३ में भारत सरकार द्वारा काज़ी नज़रुल इस्लाम के योरप में डाक्टरी इलाज़ के लिए कलकत्ता की नज़रुल नरमाय समिति को ५००० रुपए की एक राशि दी गई थी ।

सेठ गोविन्द दास: क्या इस के पहले भी इस प्रकार की कोई सहायता किसी साहित्यिक को दी गयी है ?

मौलाना आज़ाद : नहीं, इस से पहले कोई इस तरह की नहीं दी गयी है ।

सेठ गोविन्द दास: यह एक बहुत अच्छी बात की गयी है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई कोष केन्द्रीय सरकार बनाना चाहती है कि जिस से इस प्रकार के साहित्यिकों को आगे भी इस तरह से सहायता मिल सके ?

मौलाना आज़ाद : हां, गवर्नमेंट की यही पालिसी है कि हर साल बजट में कुछ रुपया इस तरह के काम के लिये रखा जाय ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या ऐसी और कोई दरख्वास्तें गवर्नमेंट के सामने पेश हैं जिन में सहायता मांगी गयी है ?

मौलाना आजाद : हां, बहुत सी दरख्वास्तें हैं और गवर्नमेंट उन पर गौर कर रही है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विशेष मामले की सिफारिश बंगाल सरकार द्वारा की गई है ?

मौलाना आजाद : गवर्नमेंट बंगाल की सिफारिश पर यह कारवाई की गयी है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इस तरह की दरख्वास्त का सम्बन्ध है वहां तक इन दरख्वास्तों के निर्णय करने के सम्बन्ध में क्या कोई साहित्यिकों से या भिन्न भिन्न प्रान्तीय सरकारों से सलाह ली जायगी ?

मौलाना आजाद : हां, स्टेट गवर्नमेंटों से सलाह ली जायगी, लेकिन अभी इस के लिये कोई अलग बोर्ड या कमेटी नहीं बनायी गयी है । गवर्नमेंट खुद उन पर गौर करती है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जहां तक देश में जो इस प्रकार की भिन्न भिन्न साहित्यिक संस्थाएं हैं उन से इस विषय में सलाह ली जाय ?

मौलाना आजाद : गवर्नमेंट इस पर गौर करेगी ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या बिहार सरकार द्वारा श्री शिव पूजन सहाय के संबंध में इसी प्रकार के एक मामले की सिफारिश की गयी थी और उसको क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि दी गई है ?

मौलाना आजाद : नाम तो इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बिहार से दरख्वास्त आई थी और कार्रवाई की गयी थी ।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह साहित्य का कोटा प्रत्येक प्राविन्स-वाईज अलग अलग है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, ऐसा कोई स्टेटवाइज कोटा नहीं रखा गया है ।

बिक्री कर

*७३२. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पदाधिकारियों की उस समिति ने, अपना प्रतिवेदन भेज दिया है, जिससे निर्यात, आयात और अंतर राज्य व्यापार पर बिक्री कर लगाने के संबंध में अक्टूबर १९५२ में हुई वित्त मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गई मंत्रियों की समिति द्वारा बनाए गए सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत उपायों को बनाने के लिए कहा गया था ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उक्त समिति द्वारा किन महत्वपूर्ण उपायों का सुझाव दिया गया है?

(ग) किस सीमा तक ये नए उपाय काम में लगाये गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) पदाधिकारियों की समिति की नवम्बर १९५२ में बैठक हुई थी और उसने सरकार को एक अन्तरिम प्रतिवेदन भेज दिया था । लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद २८६ के प्रामाणिक निर्वचन के अभाव में, समिति किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सकी । ऐसा एक निर्वचन उच्चतम न्यायालय द्वारा बिक्री कर संबंधी कुछ वादों में अपने निर्णय में अब दिया गया है । यह निर्वचन अभी विचाराधीन है और उच्चतम न्यायालय के इस निर्वचन के फलस्वरूप पैदा होने वाली कुछ समस्याओं पर राज्य सरकारों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं । ऐसी टिप्पणियों की प्राप्ति पर,

पदाधिकारियों की समिति की एक बैठक बुलाई जायेगी। वित्त मंत्रियों के सम्मेलन के करार से संबंधित विभिन्न विवादस्पद विषयों पर इस बैठक में और सोच विचार होगा।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न बिक्री कर के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही रोकने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदेश प्रेषित किये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): हां। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही उन के यहां एक परिपत्र जारी किया है जिस में उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे अन्य राज्यों के व्यापारियों से २६ जनवरी से उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक अर्थात् पश्चातगामी प्रभाव से बिक्री कर देने के लिये दी गई सूचनाओं पर आगे कार्यवाही न करे।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार के समक्ष उक्त निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये राज्य के वित्त मंत्रियों कार एक सम्मेलन आयोजन करने का सुझाव है ?

श्री एम० सी० शाह : वर्तमान में नहीं है, श्रीमान्।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उक्त कार्य से उत्पन्न कष्टों और कठिनाइयों के सम्बन्ध में व्यापारी वर्ग की ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई एक अथवा अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री एम० सी० शाह : विविध राज्यों के व्यापारी वर्गों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिन विविध राज्य सरकारों से व्यापारियों को पहले से ही सूचनायें मिल गई हैं उन्हें निरसन मान लिया जायगा ?

श्री एम० सी० शाह : हम ने राज्य सरकारों को ऐसा करने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त किसी भी राज्य सरकार से हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि उन्हों ने इस तरह की सूचनायें जारी नहीं की हैं। हम अन्य राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने अनेक राज्यों को अनुस्मरण-पत्र भी प्रेषित किये हैं।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि निकट भविष्य में राज्य के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन करने की कोई इच्छा नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय करने की दृष्टि से वे अन्य किन उपायों को अपना रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैंने अभी कहा है शीघ्र ही पदाधिकारी-समिति का आयोजन किया जायगा। इसके बाद इस मामले पर आगे विचार किया जायगा।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से सरकार संविधान के प्रस्तुत अनुच्छेद में संशोधन करने पर विचार कर रही है अथवा विचार करने के लिये सुझाव है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दे सकता। अनुच्छेद में संशोधन करने का प्रश्न वर्तमान में उत्पन्न नहीं होता है। हम राज्य सरकारों के उत्तरों तथा शीघ्र ही आयोजित की जाने वाली पदाधिकारी समिति के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्हों ने अभी तक विज्ञप्ति का उत्तर दिया है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त किसी सरकार ने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री ए० एम० टामस : बम्बई सरकार ने हाल ही में बहुसूत्री बिक्री कर को समाप्त कर उस के स्थान पर द्वि-सूत्री बिक्री-कर आरम्भ कर दिया है । क्या यह केन्द्रीय सरकार की मंत्रणा से किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : बिक्री-कर राज्य सरकारों का विषय है। हमारा सम्बन्ध केवल सारभूत वस्तुओं से है और इन के विषय में उन्हों ने केन्द्रीय सरकार से मंत्रणा कर ली है ।

वृत्तियां

*७३३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को व्यावसायिक और प्राविधिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वृत्तियां प्रदान करने के लिये सरकार के पास प्रस्ताव है ;

(ख) इस वर्ष के लिये प्रस्तावित वृत्तियों की संख्या और मूल्य; और

(ग) यह प्रशिक्षण कब प्रारम्भ होगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) इस वर्ष दी जाने वाली वृत्तियों की संख्या २०० है और अर्थ मूल्य प्रति माह प्रति भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षणार्थी पर २५ रु० है ।

(ग) इस वर्ष के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण पहली अगस्त १९५३ से प्रारम्भ हुआ था और प्राविधिक प्रशिक्षण फरवरी १९५४ से प्रारम्भ होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : किस किस जगह पर यह ट्रेनिंग दी जाती है ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास बहुत लम्बी सूची है । आश्चर्य है कि आप मुझ से उसे पढ़ने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। यह सब स्थानों पर है । माननीय सदस्य की सूचनार्थ, लगभग ३२ स्थानों पर प्राविधिक और २६ स्थानों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

लाला अचिन्त राम : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक्स सर्विसमैन की लिस्ट में आई० एन० ए० के आदमी भी शामिल होते हैं ?

सरदार मजीठिया : हां, निस्सन्देह ।

श्री पुन्नूस : क्या इन व्यक्तियों के चुनाव के लिये कोई व्यवस्था है और क्या यह देखने के लिये कोई प्रबन्ध है कि सब राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

सरदार मजीठिया : हां, किसी राज्य के लिये रोक नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या यह देखने के लिये निश्चयात्मक कदम है कि समस्त राज्यों के भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित होते हैं ?

सरदार मजीठिया: हां, किसी राज्य पर अवरोध नहीं है और ज्योंही प्रार्थना पत्र मिलते हैं सब राज्यों के व्यक्ति चुने जाते हैं ।

श्री पुन्नूस : चुनाव के लिय क्या व्यवस्था है ?

सरदार मजीठिया : निस्सन्देह वह सरकारी व्यवस्था है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें काम दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : उन्हें टैक्नीकल प्रशिक्षण देने का मूल अर्थ ही यह है कि वे अपनी जीविका उपार्जन में समर्थ हो सकें ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जिस तादाद में एक्स-

सर्विसमैन को वोकेशनल टैक्नीकल ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था, उन की परसेंटेज बढ़ाने पर विचार किया जायगा ।

सरदार मजीठिया : इस पर सरकार सदैव ही विचार करती रही है और जैसे ही आवश्यकता उत्पन्न होती है उन्हें अधिवास दिया जाता है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि आजाद हिन्द सेना के कितने कर्मचारियों को वृतियां प्रदान की गई हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे भय है कि मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं किन्तु यदि माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं तो मैं उन्हें अवगत करा दूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या दक्षिण के इस आशय का प्रतिनिधित्व किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के साथ न्याय नहीं किया गया है ?

सरदार मजीठिया : मुझे ज्ञात नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस स्थिति में हैं कि मद्रास राज्य के कुल कितने व्यक्तियों को उक्त वृत्ति से लाभ हुआ है ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास विभिन्न राज्यों के अलग अलग आंकड़े नहीं हैं किन्तु जैसा मैं ने कहा है इस वर्ष दो सौ वृत्तियों के लिये उपबन्ध है । मैं यह भी कह दूं कि प्रथम वर्ष में ५०० प्रशिक्षणार्थियों के लिये उपबन्ध था किन्तु वे आये नहीं ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन: प्रश्न (क) यह है कि क्या सरकार के पास भूतपूर्व सैनिकों को व्यावसायिक और टैक्नीकल प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव हैं । क्या सरकार का इरादा भूतपूर्व सैनिक महिलाओं को प्रशिक्षण देने का है ?

सरदार मजीठिया : हमारे संविधान के अनुसार उन्हें समान अधिकार दिये गये हैं और उन में कोई अन्तर नहीं है ।

लम्फेलपत क्षेत्र

*७३४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) (१) मनीपुर के लम्फेलपत क्षेत्र में कृषि अंतर्गत एकड़ भूमि (२) धान की वार्षिक उत्पादन की मात्रा और (३) भूमि के अधिकर्ता व्यक्तियों की संख्या;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर की सरकार ने खेतों को चरागाह भूमि में परिवर्तित कर दिया है;

(ग) यदि यह ठीक है तो उस के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सम्बन्धित कृषकों की ओर से कोई विरोध किया गया है; और

(ङ) यदि यह सच है तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) (१) ७४४·७६२ एकड़

(२) २८,८०० मन लगभग ।

(३) ४००

(ख) नहीं ।

(ग) से (ङ). उत्पन्न नहीं होते हैं ।

मंत्रणा परिषद्

*७३५. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार मनीपुर की मंत्रणा परिषद् के लिये प्रारम्भ में चार सलाहकार नियुक्त करना चाहती थी ?

(ख) यदि यह ठीक है तो पांचवें व्यक्ति की नियुक्ति क्यों और कैसे हुई ?

(ग) विभागों का वितरण किस तरह किया जाता है तथा प्रत्येक सलाहकार के अधिकार में कितने विभाग हैं ?

(घ) उक्त सलाहकारों के स्वरूप एवं उत्तरदायित्व क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख). मनीपुर में सलाहकारों की संख्या के विषय में अनेक प्रस्ताव विचाराधीन थे और इस दिशा में अन्तिम निर्णय यह किया गया कि पांच सलाहकार होने चाहियें ।

(ग) मनीपुर (मंत्रणा परिषद्) आदेश, १९५३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित स्थायी आदेशों के प्रथम खण्ड के अनुसरणार्थ मुख्य आयुक्त ने सलाहकारों में विभागों का वितरण किया है । प्रत्येक सलाहकार को प्रदत्त विभागों का विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]**

(घ) स्थायी आदेशों के उपबन्धों के आधीन, मन्त्रणा-परिषद् का आर्य संविधान के अनुच्छेद २३९ के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त को उन के कार्य की पूर्ति में सहायता देना है ।

श्री बीरेन दत्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इन सलाहकारों ने भारत सरकार से इस मंत्रणा परिषद् को भंग करने के लिये और १५ अगस्त को एक विधान सभा स्थापित करने के लिये कहा था ?

डा० काटजू : मैं प्रश्न सुन नहीं सका ।

सभापति महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है ।

श्री के० के० बसु और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती उठे— **(अन्तर्बाधा)**

श्री के० के० बसु : प्रश्न प्रश्नकाल समाप्त होने से पहले पूछा गया था और माननीय मंत्री समय व्यर्थ नष्ट कर रहे थे । यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस का उत्तर दिया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इतने क्रुद्ध क्यों होते हैं । माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हों ने प्रश्न को समझा नहीं । प्रश्न काल समाप्त हो चुका है । यदि माननीय सदस्य अपने हित का ख्याल रख रहे होते तो बात समझ में आ सकती थी । यह एक और माननीय सदस्य का प्रश्न है । कुछ भी हो, क्रुद्ध होने की कोई बात नहीं ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रत्येक सदस्य के हित का ध्यान रख रहा हूं । प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जानने का अधिकार है ।

सभापति महोदय : जब एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि अच्छी तरह समझा नहीं गया और इस बीच प्रश्न काल समाप्त हो जाता है, तो फिर क्या किया जा सकता है ?

श्री के० के० बसु उठे— **(अन्तर्बाधा)**

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री के० के० बसु : आप ने कहा है कि हम ने उचित व्यवहार नहीं किया । मुझे इस पर बहुत आपत्ति है .....

सभापति महोदय : मैं ने तो केवल यह कहा था कि माननीय सदस्य के लिये इतना क्रुद्ध होने का कोई कारण नहीं । मैं ने माननीय मंत्री को यह सुझाव नहीं दिया कि वह प्रश्न का उत्तर न दें । उन्हों ने प्रश्न को समझा नहीं था । मैं ने केवल यह कहा था कि माननीय सदस्य इतने क्रुद्ध क्यों होते हैं ।

श्री के० के० बसु : आप ने यह कैसे समझ लिया ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सहसा उठ खड़ हुए थे और उन के बोलने के तरीके से भी ऐसा प्रकट होता था अतः मैं ने गलत नहीं कहा था ।

श्री के० के० बसु : यह आप की निजी राय हो सकती है ।

सभापति महोदय : यह मेरी निजी राय है मेरा काम यहां अपनी राय प्रकट करना ही है।

डा० काटजू : मामले को निपटाने के लिये क्या मैं माननीय सदस्य को कह सकता हूं कि वे अपना प्रश्न लिख कर मुझे भेज दें ? मैं उन्हें उत्तर भेज दूंगा। बेकार में नाराज होने से क्या लाभ ?

सभापति महोदय : स्वयं सभापति यह चाहता है कि उन सब प्रश्नों का जो यहां पूछे जायें, उत्तर दिया जाय और उचित रूप से उत्तर दिया जाये, ताकि माननीय सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रहें। किन्तु माननीय सदस्य की राय यह प्रतीत होती है कि या तो माननीय मंत्री ने प्रश्न को समझना पसन्द नहीं किया था सभापति चाहते थे कि प्रश्न को टाल दिया जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बुनियादी शिक्षा योजना के अधीन संस्थाएं

*७२१. **श्री राधा रमण** : **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी संस्थायें बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण दे रही हैं; तथा

(ख) प्रत्येक संस्था में प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४**]

भारत के प्राणि-विज्ञान सम्बन्धी तथा वानस्पतिक परिमाप का पुनसंगठन

*७२२. **श्री हेडा** : **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित दो योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(१) भारत के प्राणि-विज्ञान सम्बन्धी परिमाप के पुनर्संगठन की योजना; तथा

(२) भारत के वानस्पतिक परिमाप के पुनर्संगठन की योजना; तथा

(ख) यदि हां, तो उन की प्रगति की क्या अवस्था है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) तथा (ख). दोनों योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ।

राष्ट्रीय छात्रसेना में कन्या छात्र सैनिक

*७२४. **श्री राधा रमण** : **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन कन्या छात्र सैनिकों को जो कि राष्ट्रीय छात्र सेना में प्रशिक्षण ले रही हैं, नियमित सैनिक सेवा में लिया जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतोश चन्द्र) : महिलाओं को केवल डाक्टरों और नर्सों के रूप में सेना में भर्ती किया जा सकता है, साधारणतया नहीं ।

विदेशी संस्थाओं को भेंट की गई पुस्तकें

*७३६. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५३ को पूछे गय अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर निर्देश करने की कृपा करेंग और बतलायेंगे कि उन पुस्तकों में से जो दूसरे देशों को भेंट की गई थीं कितनी भारतीय भाषाओं में थीं ?

(ख) इस प्रयोजन के लिये पुस्तकें कैसी चुनी जाती हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) ३१० ।

(ख) ये पुस्तकें प्रकाशनों की मान्य सूचियों में से और विदेशी संस्थाओं की मांगों के अनुसार चुनी जाती हैं ।

खनिज परामर्शदात्री बोर्ड

*७३७. **श्री मुनिस्वामी : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खनिज परामर्शदात्री बोर्ड की पहली बैठक कब हुई थी और क्या निर्णय किये गये थे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : यह बैठक ७ अगस्त, १९५३ को हुई थी । एक विवरण जिस में बोर्ड द्वारा पारित किये गये संकल्प बतलाये गये हैं सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]

छोटी बचत योजना

*७३८. **श्री एन० एल० जोशी : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई, मद्रास और पश्चिमी बंगाल में छोटी बचत योजना की अधिकृत एजेंसी व्यवस्था के कार्य की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उस का निर्णय क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस व्यवस्था को देश के अन्य भागों में चालू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो किन भागों में; तथा

(ङ) यदि नहीं तो इस के कारण क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). सामान्यतया अधिकृत एजेंसी व्यवस्था के अधीन अच्छा काम हुआ है । यह निश्चय भी कर लिया गया है कि इसे संशोधित रूप में स्त्रियों की छोटी बचत के आन्दोलन के सम्बन्ध में और कुछ और मामलों के सम्बन्ध में भी चालू कर दिया जाये । इस को जारी रखने तथा अन्य स्थानों पर बढ़ा देने का मामला अब सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ?

कृषि ऋण

*७३९. **श्री एन० बी० चौधरी : राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार ने १९५३-५४ के वर्ष के लिये कितने कृषि ऋण की मंजूरी दी है; तथा

(ख) इस में से कितनी राशि किसानों में वितरित की जा चुकी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) एक लाख रुपया ।

(ख) लगभग ९८,००० रुपये ।

आर्डनेंस फैक्ट्री, अम्बरनाथ

*७४०. **श्री विट्ठल राव** : क्या **रक्षा** मंत्री १५ मई, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१९९, के जो कि आर्डनेंस फैक्टरी कर्मचारी संघ अम्बरनाथ द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में था, भाग (ग) के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) आर्डनैन्स फेक्टरी के कर्मचारियों को मकान देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; तथा

(ख) क्या उन्हें कोई मकान के किराया का भत्ता भी दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जो वहां काम कर रहे हैं, भारत की विभिन्न फैक्टरियों से वहां स्थानान्तरित किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) आर्डनैन्स फैक्टरी अम्बरनाथ के २६०० कर्मचारियों में से लगभग ५० प्रतिशत

को रहने के लिये मकान दिये जा चुके हैं। इस के अतिरिक्त २८८ क्वार्टर बन रहे हैं।

(ख) जी नहीं, मकान के किराये का भत्ता देने के लिये नगरों को जनसंख्या के आधार पर श्रेणियों में बांटा जाता है। चूंकि अम्बरनाथ की जनसंख्या १ लाख से कम है इसलिये वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान के किराये का भत्ता नहीं मिल सकता।

राजस्थान को दी गई सहायता

३८८. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्न-लिखित प्रत्येक मद के अन्तर्गत १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में केन्द्र द्वारा राजस्थान को खाद्य की कमी का सामना करने के निमित्त कुल कितनी सहायता दी गई है :—

(१) ऋण ;

(२) उपदान रूप से सहायता के निमित्त दिया गया अनुदान ;

(३) भारतीय जनता की दुर्भिक्ष न्यास निधि में से दी गई राशियां; तथा

(४) सामान्य अभ्यंश से अधिक दिये गये खाद्य की मात्रा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (१) से (३). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

(४) किसी राज्य के लिये कोई तथा-कथित सामान्य 'अभ्यंश' की मात्रा निश्चित नहीं की गई है। प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को, जिनमें दुर्भिक्ष की हालत का सामना करने की आवश्यकता भी शामिल होती है, प्रत्येक पत्री वर्ष के लिये निर्धारित किया जाता है तथा यथासम्भव उन आवश्यकताओं को पूरी मात्रा मे पूरा करने का यत्न किया जाता है। १९५१ तथा १९५२ के पत्री वर्षों में राजस्थान को क्रमशः ७०,००० तथा ११,००० टन अनाज दिया गया था।

राष्ट्रीय आय समिति

३८९. श्री एन० एल० जोशी : (क) **वित्त मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय आय समिति की आखिरी रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) राष्ट्रीय आय समिति की आखिरी रिपोर्ट अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है ? फिर भी इस के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने की शीघ्र ही आशा की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है :

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम

३९०. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: **गृह-कार्य** मंत्री २३ जून, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २३१ के उत्तर का निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे कि पुनर्वर्तित 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियम' कब तक तैयार हो कर सदन पटल पर रखे जायेंगे ?

गृह-काय तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : अखिल भारतीय सेवाओं सम्बन्धी आचरण नियमों का प्रारूप राज्यों को निर्देशित किया गया है। उन टिप्पणियों की प्रतिक्षा की जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं सम्बन्धी नियमों के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर केन्द्रीय सेवाओं के लिये भी वैसे ही नियम तैयार किये जायेंगे।

राष्ट्रीय बचत निधि

३९१. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि १९५२-५३ में १९५१-५२ की अपेक्षा राष्ट्रीय बचत निधि की अधिक राशि पर दिये गये कमीशन की राशि कितनी है ?

(ख) १९५२-५३ में बचत योजना संस्था पर कुल स्थापना व्यय कितना आया था ?

(ग) उसी काल में उक्त संस्था ने प्रचार पर कुल कितने धन का व्यय किया था ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान मेरे द्वारा १८ अगस्त, १९५३ को श्री हेडा के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

व्यापारिक व्यवसायों के विदेशी कर्मचारी

३९२. **श्री के० सी० सांधिया** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में सरकार ने

(१) भारत में प्रवेश, तथा

(२) ठहरने की अवधि के बढ़ाने के सम्बन्ध में व्यापारिक व्यवसायों के कितने विदेशी कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों की जांच पड़ताल की थी ?

(ख) कितने मामलों में इन प्रार्थना पत्रों को रद्द कर दिया गया था ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क)

(क) (१)	४०३
(क) (२)	५०३
(ख)	३९

बी० सी० जी० केन्द्र

३९३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कोई बी० सी० जी० केन्द्र खोले हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो इन केन्द्रों पर प्रति वर्ष कितना व्यय आता है ?

(ग) क्या सारा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है अथवा कि राज्य सरकार भी उस में कोई भाग देती है ?

(घ) औसत से कितने व्यक्तियों को प्रति मास टीका किया जाता है ?

(ङ) जम्मू तथा काश्मीर में अभी तक क्रमशः कुल कितने व्यक्तियों को टीका दिया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बी० सी० जी० टीकों को राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षय-रोग निरोधक आन्दोलन की सहायता से आरम्भ किया गया है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा निःशुल्क दिये गये टीके तथा 'ट्यूबरक्यूलिन' का प्रति वर्ष मूल्य इस प्रकार से है :—

	रु० आने पाई
१९५०-५१	३३१६-१२-६
१९५१-५२	२४४१-१३-०
१९५२-५३	१७३८-१५-६
१९५३-५४ (जुलाई तक)	४४९- ४-०

(ग) जैसा कि भाग (ख) में बतलाया गया है, भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे टीकों तथा 'ट्यूबरक्यूलिन' के सिवाय सारा खर्च जम्मू तथा काश्मीर सरकार कर रही है।

(घ) लगभग २,७०० ।

(ङ) ३० जून, १९५३ तक जम्मू तथा काश्मीर में कुल जितने व्यक्तियों को टीका किया गया है, उनकी संख्या इस प्रकार से है :

जम्मू	४१,७१५
काश्मीर	५५,५६६
कुल	९७,२८१

छात्र वृत्तियां

३९४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में मणीपुर के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या तथा राशि कितनी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): सूचना प्राप्त की जा रही है तथा मिलने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित आदिम जातियां

३९५. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ के आयव्ययक में अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कितनी राशि पृथक रक्षित की गई है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): मामले का सम्बन्ध मुख्यतः राज्य सरकारों से है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, १९५३-५४ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों, तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये जो मैट्रिक परीक्षा के बाद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं की गई ४०,००,००० रु० की व्यवस्था में से ७,२०,००० रु० को अनुसूचित आदिमजातियों के लिये पृथक रक्षित करने का विचार किया गया है ।

संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा विभिन्न भाग (क) तथा भाग (ख) राज्यों को भारत की संचित निधि में से उन की अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों सम्बन्धी विकास योजनाओं जिसमें शिक्षा सम्बन्धी योजनायें भी शामिल हैं, इकट्ठे अनुदान भी दिये जाते हैं । इन अनुदानों में से जिन की १९५३-५४ में कुल राशि १८३·७३ लाख रु० बनती है शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों की कुल राशि लगभग ३९·३२ लाख रु० बनती है ।

इसी प्रकार के अनुदान भाग (ख) राज्यों की आदिमजातियों के व्यक्तियों की भलाई के कामों के लिये भी दिये जाते हैं । इन के बारे में चालू वर्ष के लिये अनुदान अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए ।

सत्यमेव जयते

शनिवार,
२२ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit 18·3·92 Fumigated Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, २२ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१७ म०पू०

सदन का कार्य

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम): राष्ट्रपति द्वारा पेप्सू के संबंध में की गई उद्घोषणा के बारे में इस सदन ने १२ मार्च १९५३ को एक संकल्प पारित किया था। संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत उस संकल्प की अवधि ६ मास की है। ये ६ मास अगले महीने समाप्त हो जायेंगे। माननीय सदस्यों को सरकारी कार्य की जो सूची परिचारित की गई है उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इस उद्घोषणा के भविष्य के बारे में सरकार का इरादा क्या है।

इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित प्रत्येक अधिनियम सदन पटल पर रखा जाना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का इरादा कोई दूसरा संकल्प

रखने का है और यदि है, तो क्या वह उस पर वाद-विवाद करने को तैयार है।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं सदन के सामने एक दूसरा संकल्प रखूंगा। मैं ने सांसद्-कार्य मंत्री से पहले ही कह दिया है कि इस प्रयोजनार्थ एक दिन नियत किया जाये।

जहां तक अधिनियमों का प्रश्न है, अभी तक तो राष्ट्रपति ने पेप्सू के लिये कोई अधिनियम बनाया नहीं है। हां, यदि कोई अधिनियम बनाया जायेगा तो वह संविधान के उपबंधों के अनुसार अवश्य ही सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

डा० लंका सुन्दरम्: क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस खबर की ओर दिला सकता हूं जो कल समाचार-पत्रों में पुलिस में विद्वेष फैलाने के विषय से सम्बन्ध रखने वाले राष्ट्रपति के अधिनियम के बारे में प्रकाशित हुई थी?

डा० काटजू: अभी यह अधिनियम गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है। जैसे ही यह गजट में प्रकाशित होगा, हम इसे सदन-पटल पर रख देंगे।

अनुपस्थिति की अनुमति

सभापति महोदय: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मुझे श्री सुशील कुमार पटेरिया से निम्न पत्र प्राप्त हुआ है:

"मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अपनी माता के खराब स्वास्थ्य के

[सभापति महोदय]

कारण मेरे लिये सदन के वर्त्तमान सत्र में भाग लेना सम्भव नहीं हो सका है।

मुझे आशा है कि आप मेरी कठिनाइयों को समझेंगे तथा मेरी अनुपस्थिति क्षमा करेंगे।"

क्या सदन यह चाहता है कि श्री सुशील कुमार पटेरिया को वर्त्तमान सत्र में सदन की समस्त बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ?

माननीय सदस्य : हां ।

अनुमति दी गई ।

समिति का चुनाव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

सभापति महोदय: मुझे सदन को सूचित करना है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिये नाम निर्देशन-पत्रों के प्राप्त करने के लिये निश्चित समय तक दो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। बाद में एक सदस्य ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया। क्योंकि बाकी बचे अभ्यर्थी की संख्या उतनी ही रह गई जितनी कि निगम में रिक्तता की संख्या। अतः मैं निम्न सदस्य को विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूं :

श्री खंडूभाई कासनजी देसाई ।

पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अनुसार निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूं :

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या १५, दिनांक ९ जून, १९५३;

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या १७, दिनांक २९ जुलाई, १९५३;

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या १८, दिनांक २९ जुलाई, १९५३; तथा

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या १९, दिनांक ८ अगस्त १९५३। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एस-१०४]**

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने की समयावधि में वृद्धि

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में आगे संशोधन करने और भाग ग राज्य अधिनियम, १९५१ में कतिपय आनुशंगिक संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : क्या हम इसका कारण जान सकते हैं ?

श्री बिस्वास : कारण यह है। प्रवर समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं। संशोधक विधेयक के उपबन्धों की अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्वक जांच की जा रही है इस में कुछ समय लगा है। अभी तो हम सातवें-आठवें खंड पर भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसी आशा नहीं है कि अगले कुछ दिनों में ही सम्पूर्ण विधेयक पर विचार समाप्त हो सकेगा। अतः इस सत्र में यह विधेयक दोनों सत्रों के सामने नहीं रखा जा सकेगा। यही कारण है कि प्रवर समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रतिवेदन के प्रस्तुत

किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने यह कहा था कि यह विधेयक इस सत्र में ही पारित हो जाना चाहिये और इस कार्य में कोई विलम्ब या स्थगन नहीं होना चाहिये। अब माननीय मंत्री अपनी बात से क्यों हट गये ?

श्री बिस्वास : सरकार का तो तब भी यह इरादा था और अब भी यही है, परन्तु इस समय विधेयक प्रवर समिति के हाथ में है। आखिर, मंत्री प्रवर समिति की इच्छा के विरुद्ध तो अपनी मर्ज़ी पूरी नहीं कर सकता ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

आन्ध्र राज्य विधेयक—जारी

खंड २८—(**आन्ध्र के लिये उच्च-न्यायालय**)

सभापति महोदय : अब सदन आंध्र राज्य विधेयक पर आगे विचार जारी रखेगा।

हम खंड २७ तक तो निपटा चुके हैं अब खंड २८ लिया जायेगा । इस खंड के कुछ संशोधन रखे गये हैं ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं ने खंड २८ का एक संशोधन और रखा है।

सभापति महोदय : पहले मैं माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि वे कौन कौन से संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा हूं ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुंटूर) : मैं अपना संशोधन रख रहा हूं ।

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अपना संशोधन प्रस्तुत करने से पहले मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से सदस्य कौन कौन से संशोधन रखना चाहते हैं ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ९, पंक्ति ११ तथा १२ में—

"The first day of January, 1956" ("१ जनवरी, १९५६") के स्थान में "The first day of June 1954" ("१ जून, १९५४") आदिष्ट किया जाये।

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ९, पंक्ति ११ तथा १२ में,—

"The 1st day of January 1956" ("१ जनवरी, १९५६")के स्थान में "The 1st day of July 1954" ("१ जुलाई, १९५४") आदिष्ट किया जाये।"

संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि आंध्र के उच्च न्यायालय के लिये एक शानदार इमारत खड़ी की जानी है जिस में कुछ समय लगेगा। मुझे इस सिलसिले में यह कहना है कि उच्च-न्यायालय की शान उस की इमारत में नहीं बल्कि उस की ईमानदारी तथा निष्पक्ष निर्णय में है। आंध्रों और तामिलों ने भी यह बात मान ली थी कि उच्च-न्यायालय आंध्र राज्य

[श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्]

की राजधानी की स्थापना के साथ साथ आंध्र के क्षेत्र में ही कायम कर दिया जाना चाहिये। स्वयं मद्रास की विधान सभा ने ही यह संकल्प पारित किया था कि आंध्र का उच्च-न्यायालय सन् १९५४ तक कायम कर दिया जाये। अतः मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये एक वर्ष की सीमा पर्याप्त रहेगी। यही कारण है कि म ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री नानादास : आंध्र के लोग यही चाहते हैं कि आंध्र का उच्च-न्यायालय आंध्र राज्य की स्थापना के साथ साथ ही आंध्र में कार्य करना शुरू कर दे। हम चाहते हैं कि १ अक्तूबर से आंध्र का अपना उच्च-न्यायालय भी काम करने लगे। गृह-कार्य मंत्री ने जो कारण बतलाया है वह पर्याप्त नहीं है। राजधानी निर्माण के लिये तो भी समय चाहिये, परन्तु उच्चन्यायालय तो जल्दी भी स्थापित किया जा सकता है। अतः म सरकार से निवेदन करूंगा कि वह स्पष्ट रूप से यह बतला दे कि आंध्र का उच्च-न्यायालय किस तारीख से कार्य करने लगेगा। क्योंकि सरकार ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बतलाया है, अतः मैं अपने संशोधन को रखना चाहता हूं।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : हम मद्रास के लोग भी यह कहते हैं कि यदि आंध्र में उच्च-न्यायालय जल्दी बनाया जाना सम्भव हो तो बना दिया जाये। हम उन के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : आंध्र का उच्च-न्यायालय आंध्र में ही रहना अत्यावश्यक है क्योंकि अन्यथा लोगों को ५०० या ६०० मील तक से मद्रास जाना पड़ेगा और व्यर्थ इतनी परेशानी और खर्चा उठाना पड़गा। जब तक मद्रास के मुख्य न्यायाधीश ही आंध्र के मुख्य न्यायाधीश का कार्य करेंगे तब तक नियुक्तियों के विषय में भी आंध्र के लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। आंध्र राज्य की स्थापना एक बड़ी सीमा तक आंध्र के लोगों के साथ वर्तमान मद्रास राज्य द्वारा किये गये दुर्व्यवहार का अप्रत्यक्ष परिणाम है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि सरकार इन संशोधनों को स्वीकार कर ले कि आंध्र का उच्च-न्यायालय १९५४ के पूर्व ही स्थापित कर दिया जाये।

श्री राघवाचारी : क्या सारे खंड २८ पर चर्चा हो रही है या केवल उस के प्रथम भाग पर ?

सभापति महोदय : खंड २८ पर। यदि माननीय सदस्य चाहें तो सारे खण्ड पर बोल सकते हैं।

श्री राघवाचारी : जी हां। मेरे सामने सरकार का प्रस्तावित संशोधन है जो एक उपखंड (४) के जोड़े जाने के विषय में है।

सभापति महोदय : वह तो अभी प्रस्तुत भी नहीं हुआ है। माननीय सदस्य तब तक प्रतीक्षा करें।

श्री राघवाचारी : परन्तु इस का उस संशोधन से भी गहन सम्बन्ध है।

सभापति महोदय : तो फिर माननीय मंत्री पहले संशोधन रख दें फिर माननीय सदस्य बोलें।

श्री राघवाचारी : हां, वह अधिक अच्छा होगा।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ ९ में,

पंक्ति २३ के पश्चात यह निविष्ट किया जाये :

"(4) The principal seat of the High Court of Andhra shall be at such place as the

Governor of Andhra may, before the prescribed day, by order appoint :

Provided that if a resolution recommending any place for such principal seat is adopted by the Governor as the principal seat."

["(४) आंध्र के उच्चन्यायालय का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे कि आंध्र के राज्यपाल निर्धारित दिवस से पूर्व एक आदेश द्वारा नियुक्त करें :

परन्तु यदि एक संकल्प, जिस में ऐसे प्रधान कार्यालय के किसी स्थान के विषय में सिफारिश हो, आंध्र की विधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाये, तो राज्यपाल ऐसे स्थान को प्रधान कार्यालय मान लेंगे।"]

संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री राघवाचारी : मैं चाहता हूं कि पहिली जनवरी १९५६ से पहिले पहिली जून या पहिली जुलाई १९५४ रख दी जाय, जैसा कि मैं ने अपने संशोधन में भी रखा है । इस का कारण यह है कि यद्यपि उप-खण्ड (२) में इस बात का उपबन्ध है कि एक संकल्प द्वारा इस तारीख को बदल कर इस से पहिले की तारीख रखी जा सकती है, किन्तु विधेयक की भाषा से यह पता लगता है कि आंध्र विधान सभा की व्यक्त इच्छा के होते हुए भी, तारीख को संकल्प के अनुसार निर्धारित करना आवश्यक नहीं । यह सम्भव है कि इस संकल्प के होते हुए भी राष्ट्रपति एक ऐसी तारीख निश्चित कर दें जो कि संशोधन में रखी गई तारीख से बाद की तारीख हो किन्तु पहिली जनवरी, १९५६ से पहिले की हो । राष्ट्रपति ऐसी तारीख निश्चित कर सकते हैं जो उस उपबन्ध के अनुसार हो किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह उस की निहित भावना के भी अनुसार हो । अतः निर्धारित तारीख पहिली जनवरी, १९५६ के स्थान पर पहिली जुलाई, १९५४ को रखना आवश्यक है ।

ऐसा लगता है कि सरकार का यह विचार है कि आंध्र विधान सभा द्वारा व्यक्त विचारों का ध्यान रखते हुए ही यह तारीख निश्चित की जाय । यदि सरकार का ऐसा विचार है तो मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि वह इस बात को स्पष्ट कर दें । इस से हमारा सन्देह दूर हो जायगा ।

उच्चन्यायालय का प्रधान कार्यालय पहिले किसी अन्य प्राधिकार द्वारा निश्चित किया जाना था किन्तु इस संशोधन के अनुसार विधान सभा को यह करने का अधिकार दिया गया है । इस प्रस्तावित संशोधन से स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में कठिनाई दूर हो जायगी । यदि माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन दें कि राष्ट्रपति आंध्र विधान सभा के निर्णय के अनुसार तारीख निश्चित करेंगे तो मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करने का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री वीरस्वामी (मयूरम–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : जब कोई नया राज्य बनता है तो यह उचित ही है कि उस की सीमा के अन्दर ही उस की राजधानी उस का उच्चन्यायालय तथा वहां के राज्यपाल का निवास स्थान हो । किन्तु इस विधेयक में यह दिया हुआ है कि आंध्र के लिये पृथक् उच्चन्यायालय पहिली जनवरी, १९५६ या इस से पूर्व स्थापित किया जायगा । अतः मद्रास उच्चन्यायालय और दो वर्षों के लिये आंध्र राज्य के लिये काम करेगा । मेरा कहना यह है कि आंध्रवासियों को मद्रास शहर जाने में बहुत सी कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी । अतः मेरा सुझाव है कि आंध्रवासियों की सुविधा के लिये शीघ्र ही एक पृथक् उच्चन्यायालय स्थापित किया जाना चाहिये । जब

[श्री वीरस्वामी]

इस नये राज्य की राजधानी कुरनूल में होगी तो इस का उच्च न्यायालय मद्रास में क्यों हो ? मेरा सुझाव है कि आंध्र का पृथक् उच्च-न्यायालय पहिली अप्रैल, १९५४ को स्थापित किया जाय । यदि आंध्र राज्य का उच्च-न्यायालय मद्रास में दो वर्ष से अधिक रहेगा तो तामिलों को यह बात बुरी लगेगी । अतः मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस बात पर विचार करें और नई आंध्र सरकार को आंध्र उच्चन्यायालय के आंध्र में शीघ्र स्थापित करने के प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में सुझाव दें ।

डा० काटजू : मुझे माननीय सदस्य की यह बात सुन कर दुःख हुआ कि सदस्यों को इसमें किसी प्रकार का सन्देह है । मैं समझता हूं कि बहुत से संशोधन उसी सन्देह के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं । स्पष्टतः इस विषय में कुछ मिथ्या धारणा है । सदस्यों को मालूम होगा कि मुख्य न्यायाधिपति वांचू ने अपनी रिपोर्ट में आंध्रवासियों द्वारा उस समय इस सम्बन्ध में, कि आंध्र सरकार की कार्यपालिका अस्थायी रूप से कुछ वर्षों के लिये मद्रास में ही रहनी चाहिये, प्रकट किये गये विचारों को कार्यान्वित करने की सिफारिश करते हुए यह लिखा कि उच्च-न्यायालय को वहां उस से भी अधिक अवधि तक रखा जाय और अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ८ पर उन्होंने इस के कारण दिये हैं । मैं उन्हें पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता । यह सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं ।

आंध्र सरकार की कार्यपालिका शीघ्र ही आंध्र देश में जा रही है । उच्चन्यायालय के बारे में मुझे मद्रास विधान मण्डल द्वारा प्रकट किये गये विचारों का पता है । मद्रास को जो मूल विधेयक भेजा गया था उसमें उस अवधि का उल्लेख नहीं था कि वह उच्च-न्यायालय मद्रास में कब तक रहेगा, किन्तु राष्ट्रपति को इस बात का स्वविवेक प्राप्त है कि वह नये आंध्र उच्चन्यायालय को आंध्र की सीमा में ही रखें । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्त्तमान विधेयक में जो तारीख रखी गई है वह केवल आंध्र वासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही रखी गई है । यदि आंध्र विधान सभा निश्चित दिन अर्थात् पहिली अक्तूबर के बाद अपनी बैठक में इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित करे कि आंध्र उच्चन्यायालय आंध्र में ही स्थापित किया जाय और यदि दूसरे संकल्प में यह कहे कि आंध्र उच्चन्यायालय का प्रधान कार्यालय इस विषेश जगह पर होना चाहिये, तो राष्ट्रपति उसकी सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे और उसके द्वारा बताये गये दिन से आंध्र उच्चन्यायालय के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में एक आदेश निकालेंगे । मैं उन सब को उत्तरदायी व्यक्ति समझता हूं । विधान मण्डल जिस स्थान को चुनेगा उस स्थान को प्रधान कार्यालय बनाने के सम्बन्ध में आंध्र देश का राज्यपाल शीघ्र ही एक आदेश जारी करेंगे । इस समय मैं आंध्र-वासियों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब वे आंध्र उच्चन्यायालय की स्थापना के प्रश्न पर विचार करें तो वे इस प्रश्न से सम्बन्धित बहुत सी बातों का भी ध्यान रखें और इस मामले में जल्दबाज़ी से काम न लें ।

जैसा कि श्री वांचू ने कहा है, उच्च-न्यायालय के लिये काफ़ी तय्यारी करने की आवश्यकता है । वहां उच्चन्यायालय के लिये इमारत, तथा एडवोकेटों न्याया-धीशों के लिये क़ानूनी किताबों सम्बन्धी पुस्तकालय, एडवोकेटों के लिये कमरे और मुकदमा लड़ने वालों के लिये बैठने का स्थान चाहिये, तथा न्यायाधीशों, कर्मचारियों और

एडवोकेटों के लिये मकान भी होने चाहियें। जब आप इन सब बातों पर विचार कर लेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे कि आंध्र में उच्चन्यायालय पहिली फ़रवरी १९५४ से स्थापित किया जाय, तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी : इस बात का सम्बन्ध तो आप से है : यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस सम्बन्ध में एक सन्देह प्रकट किया गया था कि केन्द्रीय सरकार अनिश्चित काल तक उच्चन्यायालय को मद्रास में ही रखना चाहती है। मुझे तो उस बात को सुन कर दुख ही हुआ। मेरे माननीय मित्र ने यह सन्देह प्रकट किया कि यदि आन्ध्र विधान मण्डल इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित कर दे कि आंध्र में उच्चन्यायालय पहिली अप्रैल १९५५ से स्थापित किया जाय, तो राष्ट्रपति उस संकल्प की उपेक्षा कर सकते हैं और वह वहां पहिली अप्रैल १९५५ से या पहिली जनवरी १९५६ से उच्चन्यायालय को स्थापित न करें क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते। वह इसकी स्थापना की तारीख पन्द्रह दिन अथवा एक महीना और बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि वह उच्चन्यायालय को पहली दिसम्बर से स्थापित करवा देंगे, इस प्रकार उस उच्चन्यायालय को मद्रास में पांच महीने और रहने देंगे। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का पूर्ण आश्वासन दे सकता हूं कि वह खण्ड आंध्रवासियों के हित और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही रखा गया है—और इसमें कोई बात नहीं है। इस बात से मद्रास वासियों का तो कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आंध्र-वासियों का अपना मामला है।

हमारा यह विचार था कि शायद पहिले आप राजधानी की स्थापना के बड़े प्रश्न पर ध्यान देंगे। आज २२ अगस्त है। इसके लिये पहला अक्तूबर निश्चित किया गया है। आप को वहां जा कर विधान मण्डल के लिये प्रबन्ध करने पड़ेंगे और दूसरे भी बहुत से प्रश्न हल करने पड़ेंगे यदि आप अपने न्यायालय को जल्दी स्थापित करना चाहते हैं तो आप को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारा यह विचार था कि हम आपको पहिली जनवरी १९५६ तक समय दे सकते हैं जिससे कि आप आसानी से प्रबन्ध कर सकें। यदि आप समझते हैं कि आप उच्चन्यायालय तथा सरकार की राजधानी दोनों के लिये स्थान का प्रबन्ध कर सकते हैं तो आप ऐसा सहर्ष करें। राष्ट्रपति तो आप के विधान मण्डल की बातों के अनुसार चलेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखें कि इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है कि अवशिष्ट मद्रास राज्य के राज्यपाल अथवा मद्रास उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श लेना पड़ेगा। इसमें तो आन्ध्र विधान मण्डल का निर्णय ही मान्य होगा। इससे अधिक आप और क्या चाहते हैं? हमने इस तारीख को पहिली जून १९५४ से उन्नीस महीने और बढ़ा दिया है जिससे कि आपको इस पर विचार करने का कुछ और समय मिल जाय। यदि आप समझते हैं कि आप उच्चन्यायालय को पहिली जून या इससे और पहिले पहिली मार्च या पहिली अप्रैल को स्थापित कर सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं यह चाहता हूं कि आंध्र विधान मण्डल इस विधेयक पर जब विचार करे तो वह इस मामले से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करे और जल्द बाजी से काम न ले। इस बात को कहने से कोई लाभ नहीं कि वहां न्यायालय एक सप्ताह बाद ही स्थापित कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री दातार ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें इस प्रश्न से सम्बन्धित सारी बात स्पष्ट

[डा० काटजू]

रूप से कह दी गयी हैं। जैसा कि यह विधेयक पहिले प्रस्तुत किया गया था, उसमें उच्च-न्यायालय के प्रधान कार्यालय का स्थान निश्चित करने की बात मुख्य न्यायाधिपति पर छोड़ दी गई थी; यह एक पेचीदा तरीक़ा है। अब यह बात स्पष्ट है कि इस में विधान मण्डल की बात मानी जायगी।

आखिर राज्यपाल की क्या स्थिति है? राज्यपाल अपने मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करता है। मंत्रिगण विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी है। यदि आप चाहते हैं कि विधान मण्डल इस मामले पर विचार करे तो मुझे विश्वास है कि वहां के मंत्रिगण एक औपचारिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे, अथवा उस विधान मण्डल का कोई सदस्य एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत कर सकता है जिसमें उस तारीख़ का उल्लेख हो जिस तारीख़ से आप आंध्र उच्चन्यायालय के प्रधान कार्यालय को आंध्र में रखना चाहते हों। और आप उस पर मत दान ले सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके लिये प्रबन्ध कीजिये तथा वह तारीख़ निश्चित कीजिये। वह कोई सी भी तारीख़ हो, राष्ट्रपति उसे सहर्ष ही मान लेंगे। इस बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिये कि हम मद्रास विधानमण्डल की व्यक्त इच्छा पर ध्यान नहीं देंगे। अतः मेरा सदन को यह सुझाव है कि श्री दातार द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सदन स्वीकार कर ले।

डा० जयसूर्य (मेदक) : मैं समझता हूं कि श्री दातार के संशोधन में थोड़ा सा परिवर्त्तन करने से सभी कमियां दूर हो जायेंगीं; अर्थात्, "परन्तु यदि एक संकल्प, जिस में से प्रधान कार्यालय के किसी स्थान तथा समय के विषय म सिपारिश हो, आंध्र की विधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, तो राज्यपाल ऐसे स्थान को प्रधान कार्यालय मान लेंगे।" इसमें ठीक वही बात है जो कि माननीय मंत्री ने अभी कही है।

डा० काटजू : इस में दो भिन्न बातें हैं। विधान मण्डल को, उच्चन्यायालय की स्थापना की तारीख़ में परिवर्त्तन करने वाला संकल्प उप-खण्ड (२) में दिया हुआ है, और इस बात का राष्ट्रपति से सम्बन्ध है। श्री दातार के संशोधन में एक नया उप-खण्ड (४) जोड़ देने से इस बात का राष्ट्रपति से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं होगा; उसका सम्बन्ध राज्यपाल से है। अतः मेरा सुझाव है कि जहां तक समय के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसे पूरी तरह से उप-खण्ड (२) पर छोड़ा जा सकता है क्योंकि उप-खण्ड (१) तथा उप-खण्ड (२) दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध हैं।

संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को उच्चन्यायालय को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उप-खण्ड (१) में पहिली जनवरी १९५६ का उल्लेख है और यदि आंध्र विधान मण्डल इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित करे राष्ट्रपति उस तारीख़ को बढ़ा सकते हैं। उच्चन्याया-लय के प्रधान कार्यालय से सम्बन्धित श्री दातार के नये उप-खण्ड (४) से राष्ट्रपति का सम्बन्ध नहीं है; इसका सम्बन्ध तो राज्यपाल से है और अन्ततोगत्वा मंत्रिमण्डल से है। मान लीजिये कि राज्यपाल ने किसी विशेष स्थान को प्रधान कार्यालय के रूप में निश्चित कर दिया हो और यदि विधान मण्डल उस में हस्तक्षेप करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। और यदि विधान मण्डल हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है तो वह मंत्रिमण्डल की बात को स्वीकार कर सकता है। डा० जयसूर्य से मेरा

निवेदन है कि उनकी बात से इस मामले में सुधार नहीं होगा। खण्ड २८ का पूरा प्रारूप तथा श्री दातार द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रारूप इतना पूर्ण है जितना कि प्रारूप लेखक इसे तय्यार कर सकता है। और मैं ने उन्हें जो आश्वासन दिया है उन्हें उससे सन्तुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री एस० वी०एल० नरसिंहम् : मैं सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

सभापति महोदय: अब श्री राघवाचारी का संशोधन है।

श्री राघवाचारी : मैं इसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

श्री दातार द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २९ से ३५ तक विधेयक का अंग बना लिए गए।

१० म० पू०

खंड ३६—(न्यायालय का स्थान)

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ११ में

खंड ११ के स्थान पर आदिष्ट करिये :

"**३६. न्यायालय के बैठने का स्थान** : आन्ध्र के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश और डिवीज़न न्यायालय आन्ध्र देश के मुख्य केन्द्र को छोड़ उन स्थान या स्थानों में बैठ सकते हैं, जो मुख्य न्यायाधिपति राज्यपाल की स्वीकृति से निश्चित करे।"

संशोधन सभापति महोदय द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया।

श्री नानादास ने श्री दातार के उक्त संशोधन की दृष्टि में अपना संशोधन वापस ले लिया।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३७ से ४२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खड ४३—(व्यय आदि क अधिकार का प्रदान)

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १४ पंक्ति १ में

[श्री दातार]

"तीन" के स्थान पर "चार" आदिष्ट करिये।

(२) पृष्ट १४ में, पंक्ति ४ के बाद, जोड़िये :

"।रन्तु आन्ध्र के राज्यपाल नियुक्त दिन के बाद चार महीने से अनधिक काल तक के लिये आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से उन अन्य व्ययों का अधिकार दे सकते हैं, जिनको वह आवश्यक समझें।"

(३) पृष्ठ १४, पंक्ति ९ में,

"तीन" के स्थान पर "चार" आदिश्ष्ठ करिये।"

सभापति महोदय द्वारा उक्त संशोधन सदन में प्रस्तुत किये गये।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १४, पंक्ति ४ में, अंत में जोड़िये :

"किन्तु आन्ध्र कार्य के विशेष पदाधिकारी के साथ किये गये परामर्श और भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए।"

मैं मद्रास सरकार और विशेष पदाधिकारी के बीच परामर्श की प्रक्रिया के विषय में एक आश्वासन चाहता हूं और कुछ सिफारिशें करने के विषय में आंध्र राज्य की भावी सरकार को सुरक्षित रखना चाहता हूं। राष्ट्रपति द्वारा दिये जाने वाले विनियोजन के विषय में भी कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है। इन आश्वासनों का स्पष्ट उल्लेख मुझे अभिप्रेत है।

सभापति महोदय द्वारा उक्त संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं नहीं चाहता कि शिक्षा नीति की भांति मद्रास सरकार कुछ नये साहसपूर्ण व्यय या नीतियां अपनाये। यह भी सर्वविदित है कि इसी समस्या पर सरकार की बहुमत से हार हुई थी और इस शिक्षा नीति द्वारा मद्रास विधान सभा की इच्छा को ठुकराया जा रहा है। तभी सारी जनता इस नीति के विरुद्ध है। इसके विरुद्ध आंदोलन भी हुए हैं, पर सुयोग्य राजाजी जनता की इच्छा की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न पर। क्या माननीय सदस्य मद्रास सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना इस सदन में करने के लिये साधिकार हैं ?

श्री जोशिम अल्वा (कनारा) : और साथ ही वह सुकोयल बच्चों को दोपहर बाद स्कूल से घर भेजने वाली सुन्दर शिक्षा नीति के विषय में सदन की धारणा बदलना चाहते हैं।

श्री नम्बियार : मेरा निवेदन व्यय के सम्बन्ध में था कि क्या इस संक्रान्ति काल में मद्रास सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध शिक्षा जैसी नई योजनाओं पर अनुचित व्यय कर सकती है ? २९ जुलाई, १९५३ को मद्रास विधान सभा ने बहुमत से यह संकल्प पारित किया था कि यह शिक्षा नीति कार्यान्वित न की जाय.....

डा० काटजू : श्रीमान्, इसका आन्ध्र राज्य विधेयक से क्या सम्बन्ध है ?

श्री वेंकटारमन : मद्रास राज्य की आंतरिक बातों की चर्चा यहां न करके माननीय सदस्य वहां की विधान सभा के सदस्य बन जायें, और वहीं जा कर अपने गुबार निकालें।

श्री पुन्नूस : क्या "गुबार" का प्रयोग उचित है।

सभापति महोदय : हम खंड ४३ अर्थात् भविष्य की चर्चा कर रहे हैं वर्तमान सरकार के अतीत-कार्यों पर लांछन लगाना उचित नहीं है। इस खंड का सम्बन्ध भविष्य से है, और माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। मद्रास सरकार की भूतकालीन या वर्तमान नीति के गुणावगुण की चर्चा आवश्यक नहीं है।

डा० जयसूर्य (मेदक) : खंड ४४ की टिप्पणियों में बताया गया है कि यद्यपि मद्रास विधान मंडल ने अनुदानों पर मत नहीं दिया और आवश्यक विनियोजन विधेयक पारित नहीं किया, फिर भी खंड ४४ व्यय के सम्बन्ध में उनको विधान मंडल द्वारा पारित होने पर मिलने वाला अधिकार दे कर इसे नियमित बना रहा है। नियुक्त दिन तक क्या व्यय और क्या विनियोजन होंगे, यह हमें विदित नहीं है, अतएव हम माननीय मंत्री से यह स्पष्टीकरण और आश्वासन चाहते हैं और यह अत्यावश्यक मानते हैं कि नियुक्त होने वाले राज्यपाल और भावी विधान सभा को व्ययों की बात पर विचार करने का अधिकार रहे।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १४ पंक्ति १ और २ में

"तीन महीनों" के स्थान पर "छः महीने" आदिष्ट किया जाये।

नियुक्त दिन और आगामी वित्तीय वर्ष के बीच ठीक छः महीने का ही अंतर है, और मेरा यह संशोधन मद्रास विधान मंडल की सिफारिशों के अनुसार ही है। श्री दातार का संशोधन केवल चार महीने के विनियोजन की ही शक्ति देता है। इस दशा में नये विधान मंडल को और नए सचिवालय को जिसके सामने नई नई समस्यायें होंगी और जो संभवतः तंबुओं और अस्थायी इमारतों में काम चला रहे होंगे, दो-दो आय-व्ययक सत्रों का तत्काल सामना करना पड़ेगा। अतः यह काल छः महीने का होना चाहिये।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया।

श्री वेंकटारमन् : यह संशोधन संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि आय-व्ययक उसी वित्तीय वर्ष में पारित होना चाहिये, और इस संशोधन से वह न हो सकेगा। इसका अर्थ होगा कि इस वर्ष के लिये मानों कुछ भी आय-व्ययक था ही नहीं। दूसरे माननीय मंत्री के संशोधन के अनुसार नये आय-व्ययक के पूर्व थोड़ा सा अवकाश भी मिल जायगा।

दूसरी बात यह है कि श्री लंका सुन्दरम द्वारा चाहे गये आश्वासन में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर तथ्य यह है कि विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति के बाद से मद्रास सरकार प्रत्येक व्यय उससे परामर्श करके ही कर रही है।

डा० लंका सुन्दरम् : बात परामर्श की नहीं है, बल्कि यह है कि मद्रास राज्यपाल तथा सरकार द्वारा किये गये व्ययों पर पुनर्विचार करने का अधिकार मिलना चाहिये।

श्री वेंकटारमन् : मैं उस पर भी आ रहा हूं। जब सभी व्यय विशेष पदाधिकारी से परामर्श करके किये जा रहे हैं, तब पुनर्विचार का प्रश्न कैसे उठता है?

डा० लंका सुन्दरम् : विधान-सभा को वह जानने का अधिकार है।

श्री वेंकटारमन् : विधान सभा प्रश्न पूछ कर उत्तर प्राप्त कर सकती है। फिर विधेयक में इस खंड में यह परन्तुक क्यों रखा जाये। कुप्रबंध या गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अपने संशोधन पर आग्रह न करके खंड को यथावत् मान लें।

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री दातार द्वारा प्रस्तुत किए संशोधन को देखते हुए सारा भ्रम दूर हो जाना चाहिये। नियुक्त दिन से पूर्व, मद्रास सरकार चार मास के लिए, लेखानुदान के रूप में, कुछ व्यय की स्वीकृति दे सकती है। इस प्रकार का कुछ भ्रम हो सकता है कि नवजात आंध्र राज्य में दो, तीन अथवा चार मास के लिए व्यय का नियंत्रण मद्रास के राज्यपाल अथवा सरकार के हाथ में हो सकता है। श्री दातार इसी भ्रम को इस संशोधन के द्वारा दूर करना चाहते हैं। जैसा मैं समझता हूं, यदि विधान-मण्डल अथवा राज्यपाल, भविष्य के लिए, लेखानुदान के रूप में कुछ व्यय स्वीकृत करे तो यह अनिवार्य नहीं है कि वह खर्चा किया ही किया जाए। नियुक्त दिन के पश्चात्, जब कि नवीन आंध्र राज्य अस्तित्व में आएगा, तब यदि वह यह समझे कि मद्रास के राज्यपाल या वहां की सरकार नियुक्त दिन से चार मास के लिये उन के लिए कोई ऐसी योजना रखती है जिस से वह सहमत नहीं हो सकता तो उस के आगे दो मार्ग हैं। वह उस नीति को स्वीकार न करे और उस की कार्यान्विति में होने वाले व्यय को न करे। यदि आप उस व्यय को किसी अन्य तरीके से खर्च करना चाहते हों तो उस के लिए श्री दातार ने अपने संशोधन में आंध्र के राज्यपाल को ऐसे व्यय के स्वीकृत करने का अधिकार दिया है। इसलिए डा० लंका सुन्दरम ने जो आशंका उठाई थी वह समाप्त हो जाती है। नियुक्त दिवस से, इस प्रकार, हम ने आंध्र की सरकार को, वहां के लोगों को वित्तीय मामलों के पूरे चार्ज में रख दिया है।

डा० लंका सुन्दरम् : खंड ४३ मद्रास के राज्यपाल के अधिकारों से सम्बन्धित है जो उसे व्यय की स्वीकृति देने के बारे में नियुक्त दिन से पूर्व होंगे। मेरे माननीय मित्र श्री दातार का दूसरा संशोधन, आंध्र राज्य बन जाने के बाद, नियुक्त दिन के पश्चात् आंध्र के राज्यपाल द्वारा उसे अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति देने से सम्बन्धित है। मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि नियुक्त दिन से पूर्व मद्रास के राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किए व्यय की आंध्र के विधान मण्डल द्वारा जांच किए जाने का कहां तक अधिकार होगा।

डा० काटजू : नियुक्त दिन से पूर्व स्वीकृत किए गए किसी व्यय की यह विधान मण्डल कैसे जांच कर सकता है ?

कृपया याद रखिये कि अभी ४० दिन शेष हैं। चालीस दिन तक मद्रास का राज्यपाल संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है। सारा शासन उस के अन्तर्गत है। एक 'विशेष पदाधिकारी' का उपबन्ध किया गया है उस पदाधिकारी के जरिये हम आंध्र के लोगों की इच्छा मालूम करते हैं। तीस सितम्बर तक मद्रास सरकार का उत्तरदायित्व रहेगा आप उस की जांच कैसे कर सकते हैं ? विशेष पदाधिकारी मद्रास मंत्रालय से बराबर सम्पर्क रक्खेगा और उसे आंध्र के लोगों के विचारों से अवगत रक्खेगा।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं एक बात पर अपने को संतुष्ट करना चाहता हूं। मद्रास की वर्तमान सरकार आंध्र देश के लिए, नियुक्त दिन से पूर्व, पहले ही कुछ व्यय कर चुकी है। क्या नियुक्त दिन के

पश्चात् आंध्र देश का राज्यपाल अथवा विधान-मण्डल उस व्यय की जांच कर सकेगा ?

डा० काटजू : जो रुपया खर्च हो चुका सो हो चुका । आप उसे वापस नहीं बुला सकते । ईश्वर के लिए, उस खर्चे की ओर देखिये जो पहली अक्टूबर के पश्चात् राज्य के अस्तित्व में आने के बाद किया गया है । जो कुछ किया जा सकता है हम ने वह सब किया है — हम ने एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है, राजनीतिक दलों से हमने एक समिति स्थापित करने के लिए कहा है । इन चालीस दिनों में आंध्र देश पर खर्चा करने से पहले, विशेष पदाधिकारी के जरिये मद्रास सरकार वहां के लोगों का मत जानेगी और तदनुसार ही कार्य करेगी । बहुत अधिक शंका मत कीजिये । हमें एक मैत्रीपूर्ण ढंग से बढ़ना चाहिये । रुपया आंध्र देश पर ही खर्च किया जाएगा और कहीं नहीं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् का सन्देह करना ठीक ही है किन्तु साथ ही उन्हें इस बात को भी समझना चाहिये कि वर्तमान स्थिति कुछ अजीब सी है क्योंकि राज्य का विभाजन कर के राज्य का प्रशासन चलाने के लिये प्रबन्ध कर दिया गया है । अतएव निश्चित तिथि से पहले भी कुछ कार्यवाही करने का प्रश्न है किन्तु मेरे माननीय मित्र चाहते हैं वह कार्यवाही विशेष अधिकारी की सलाह से तथा राष्ट्रपति से मंजूरी ले कर की जाये ।

वास्तविक स्थिति यह है कि ऐसी मंजूरी की आवश्यकता निश्चित तिथि के बाद उत्पन्न होगी न कि पहले । निश्चित तिथि के पहले या निश्चित तिथि तक जो खर्च होगा वह मद्रास के राज्यपाल के हस्ताक्षर से होगा । जैसे ही आंध्र राज्य बन जायेगा अनेक मामलों पर धन व्यय किया जायेगा । वेतन देना पड़ेगा । यह प्रक्रिया का सवाल है । एक अक्तूबर को बनाये जाने वाले आंध्र राज्य को संचित निधि में से धन व्यय करने का अधिकार मद्रास के राज्यपाल को होगा । यह धन आंध्र राज्य पर व्यय किया जायेगा । मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि इन शब्दों को आदिष्ट करना कि "यह काम विशेष अधिकारी तथा राष्ट्रपति की मंजूरी से किया जायेगा" कितना कठिन है । माननीय सदस्य ने जिम्मेदारी का सवाल उठाया है निस्सन्देह यह प्रतिनिधिक जिम्मेदारी होगी । जिम्मेदारी के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्यों कि वास्तव में यह जिम्मेदारी तो आंध्र सरकार पर ही होगी जो कि बनाई जायेगी । इस में तो कोई सन्देह ही नहीं है कि कुछ मंत्री १ अक्तूबर को ही नियुक्त कर दिये जायेंगे । राज्यपाल अपनी इच्छानुसार कार्य न कर सकेंगे । तब विधानसभा स्थापित हो जायेगी । वह राज्यपाल के कार्यों का अनुसमर्थन करेगी । आंध्र राज्य बनने से पहले या बनने के बाद समस्त कार्यों की जिम्मेदारी नये आंध्र मंत्रिमंडल पर होगी ।

जहां तक जिम्मेदारी डालने का प्रश्न है, मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र को सन्देह करने की कोई आवश्यकता नहीं है । किन्तु जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि एक ऐसे मंत्रिमंडल पर उन बातों के लिये जिम्मेदारी डालना उचित है अथवा नहीं जिस का उन बातों से कोई सम्बन्ध न रहा हो तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अन्तर्कालीन अवस्था में इस से बचा नहीं जा सकता है । मेरे माननीय मित्र को इस बात पर विश्वास करना चाहिये कि आंध्र राज्य की संचित निधि में से जो कुछ धन व्यय किया जायेगा वह केवल उन्हीं कार्यों पर होगा जो कि परम आवश्यक हैं । इस प्रकार का प्रावधान कर देने से खर्च कम नहीं

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

हो जायेगा, क्योंकि स्पष्ट है कि जब एक विशेष अधिकारी कार्य कर रहा है, जो कि आंध्र का राज्यपाल नामनिर्देशित किया जायेगा, तो उस की इच्छा का भी ध्यान रखा जायेगा। वास्तव में यह उस का कार्य है। खर्च की बात मद्रास के राज्यपाल या अवशिष्ट राज्य के मुख्य मंत्री नहीं उठायेंगे बल्कि विशेष अधिकारी—जो कि नाम-निर्देशित राज्यपाल हैं—उठायेगा। परन्तु मेरे माननीय मित्र अतिरिक्त उपबन्ध द्वारा यह चाहते हैं कि वह राष्ट्रपति से भी सलाह ले। राष्ट्रपति से सलाह लेने और फिर उस को लिखने लिखाने में काफी समय लग जायेगा। यदि मेरे माननीय मित्र यह अनुभव करते हैं कि उस व्यक्ति में पूर्ण विश्वास है जो कि आंध्र राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जायेगा तो मेरे विचार में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने माननीय मित्र का यह कहना स्वीकार करता हूं कि शून्यता तो विद्यमान् है ही।

डा० लंका सुन्दरम् : माननीय मंत्री ने यह अनुमान लगा लिया है कि १ अक्तूबर के बाद मंत्रिमंडल बन जायेगा परन्तु मेरे विचार में इस के बिल्कुल विपरीत होगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र इस बात को नहीं समझते कि शून्यता तो रह ही नहीं सकती है क्योंकि राज्यपाल तो रहेंगे ही। जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है उस में तो कोई शून्यता है ही नहीं।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति की पहले मंजूरी ले ली जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १४ में पंक्तियां १ और २,

"three months" (तीन महीने) शब्दों के स्थान पर "Six months" (छः महीने) आदिष्ट किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

डा० लंका सुन्दरम् का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १४, पंक्ति १ में,

"three" (तीन) के स्थान पर "four" (चार) शब्द आदिष्ट किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १४ में,

पंक्ति ४ के पश्चात्, यह जोड़ा जाये :

"Provided that the Governor of Andhra may, after the appointed day, authorise, such further expenditure as he deems necessary from the Consolidated Fund of the State of Andhra for any period not extending beyond the said period of four months.'

(परन्तु आंध्र के राज्यपाल नियुक्त दिन के बाद चार महीने से अधिक काल तक के लिये आंध्र राज्य की संचित निधि में से उन अन्य व्ययों का अधिकार दे सकते हैं, जिन को वह आवश्यक समझें)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १४; पंक्ति ९ में,

"three" (तीन) के स्थान पर "four" (चार) शब्द आदिष्ट किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ४३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४४ से ४६ तक विधेयक के अंग बना लिये गये ।

खण्ड ४७—(परिसम्पत्त तथा दायिताओं का संविभाजन)

डा० लंका सुन्दरम् : क्यों कि खंड ४७ से आगे वाले समस्त खण्ड काफी महत्वपूर्ण हैं, कम से कम आंध्र देश से आने वालों के लिए, इसलिये मेरा निवेदन है कि इन पर चर्चा कल तक के लिये उठा रखी जाये ।

सभापति महोदय : यदि सदन को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं भी सहमत हूं हम भाग ६ को ले सकते हैं । छोड़े गये खण्ड कल लिये जा सकते हैं ।

खण्ड ५३–(विधियों का प्रादेशिक विस्तार)

श्री बासप्पा (टुमकुर) : मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि मैसूर राज्य में लागू कानून उन क्षेत्रों में भी लागू कर दिये जायें जो अब मैसूर राज्य में मिलाये जायेंगे ।

वर्तमान खण्ड के अनुसार निश्चित तिथि के पश्चात् भी मिलाये जाने वाले क्षेत्रों में पहले ही वाले कानून लागू रहेंगे जब तक कि क्षमताशाली विधानमण्डल द्वारा और कानून नहीं बना दिये जाते हैं । पहले वाले कानूनों के लागू रहने का परिणाम यह होगा कि गड़बड़ी उत्पन्न हो जायेगी । यदि इसी प्रकार के पहले दृष्टान्तों को देखा जाये तो मिलाये जाने वाले भागों में उस भाग के कानूनों को तुरन्त लागू कर दिया जाता है जिन में कि वे मिलाये जाते हैं । मद्रास के कानूनों के स्थान पर मैसूर के कानूनों को धीरे लागू करने का विचार है । परन्तु इस से साधारण जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा । अतएव मेरा निवेदन है कि मैसूर के कानून हस्तान्तरित क्षेत्रों में निश्चित तिथि से ही लागू कर दिये जायें । हो सकता है ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाये जिस में किसी वर्तमान कानून को ही लागू रखना लाभदायक हो । ऐसी स्थिति में मैसूर सरकार अधिसूचना जारी कर के उस कानून को लागू रहने दे सकती है ।

डा० काटजू : हम ने इस बात पर विचार किया है तथा मेरा निवेदन है कि मेरे माननीय मित्र ने जो बात कही है मामला कुछ उस के विपरीत ही है । लोग १०० या २०० वर्ष बाद मैसूर जा रहे हैं । वे लोग एक प्रकार के कानूनों के आदी हो गये हैं जो कि हो सकता है क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्स के जमाने से चले आते हों । मेरे माननीय मित्र के अनुसार जब यह लोग १ अक्तूबर को मैसूर में जायें तो वे कानून, जिन के वे आदी नहीं हैं या जिन से वे परिचित नहीं हैं, तुरन्त ही उन पर लागू कर दिये जायें; कम से कम इन छः या सात ताल्लुकों में । उन का कहना है कि ऐसे पूर्व दृष्टान्त भी हैं । वकील होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि जिन जिन दृष्टान्तों को मैं ने देखा है वें सब ही इस के विपरीत हैं, अर्थात्, यदि किसी प्रान्त में क्षेत्र जोड़े जाते हैं तो शर्त यह होती है कि लोगों पर वही कानून लागू रहने दिये जाते हैं जो कि उन पर पहले लागू थे कम से कम उस समय तक के लिये जब तक कि कोई उचित विधानमंडल या उचित प्राधिकार उन्हें बदल नहीं देता है । बेल्लारी के लोग १ अक्तूबर से वहां के हो जायेंगे । परन्तु उन के कानून उन के साथ होंगे । जब वे मैसूर के आदी हो जायें तो आप अपने विधानमंडल द्वारा उचित विधान पारित करवा सकते हैं, जैसा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है ।

[डा० काटजू]

अतः मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि यह संशोधन जो मैसूर विधानमण्डल द्वारा पारित संकल्प के आधार पर तैयार किया गया है स्वीकार न किया जाये तथा विधेयक को वैसा ही रहने दिया जाये जैसा कि वह है ।

श्री बासप्पा का संशोधन अस्वीकार कर दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड ५३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ५३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५४ से ५८ तक विधेयक के अंग बना लिये गये ।

सभापति महोदय : अब १०-४५ हो गये हैं तथा हम सदन की अन्य कार्यवाही लेते हैं ।

छात्रों की अनिवार्य सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में संकल्प —समाप्त

सभापति महोदय : सदन अब डा० राम सुभग सिंह के निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा :—

"सदन की राय में सभी हाई स्कूल तथा कालिज छात्रों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देन के लिए तत्काल ही कार्यवाही की जाय ।"

श्री यू० सी० पटनायक तथा श्री ए० के० गोपालन ने इस सम्बन्ध में अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जब मैं पिछली बार इस संकल्प पर बोल रहा था तो मैं ने निवेदन किया था कि इस वाद विवाद के परिणाम दो बातें स्पष्ट हुई हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे युवकों के चरित्र, स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व के विकास पर ज़ोर दिया, अन्य सदस्यों ने इस के रक्षा पहलू पर ज़ोर दिया जिस से कि हमारे देश के युवकों में शौर्य का विकास हो । कुछ माननीय सदस्य द्वितीय धारणा के विरुद्ध थे यद्यपि पहली धारणा के सम्बन्ध में सब के सब सहमत थे ।

मैं ने पिछले दिन निवेदन किया था कि रक्षा के दृष्टिकोण से यह एक अव्यवहारिक बात होगी कि हम अपने लाखों करोड़ों युवकों को सैन्य शिक्षा दें; और न ही धनाभाव, आवश्यक सामान की कमी तथा प्रशिक्षकों के न मिलने के कारण ऐसा करना सम्भव है । यदि हम अपने युवकों को अधिकाधिक संख्या में ऐसी ट्रेनिंग देना भी चाहें तो भी हमारे सीमित साधनों के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता है । इस सिलसिले में मैं ने कुछ तथ्य तथा आंकड़े भी दिए तथा कहा कि सरकार नेशनल केडिट कोर स्कीम पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च कर रही है तथा इस के अन्तर्गत ८०,००० बालकों तथा बालिकाओं को ट्रेनिंग मिल रही है । विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद सरकार का यह विचार है कि हमारे तरुण बालकों तथा बालिकाओं को इस सम्बन्ध में अधिकाधिक सुविधायें दी जायें जिस से कि इन्हें कुछ न कुछ अर्ध-सैनिक प्रशिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल जाये ।

इस सम्बन्ध में मैं सहायक केडिट कोर स्कीम की ओर निर्देश कर रहा हूं जिसे कि हाल ही में चालू किया गया है । सहायक केडिट कोर स्कीम पिछले वर्ष कुछ कालिजों तथा स्कूलों में प्रयोगात्मक रूप से चालू की गई तथा इसकी रजिस्टर पर इस समय लगभग ५००० बालक हैं । इसे यथासम्भव विस्तृत करने का विचार है ।

बड़ौदा विश्वविद्यालय ने अपने पूर्व स्नातकों के लिये सहायक केडिट कोर में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है मुझे सदन को यह सूचना देने में प्रसन्नता है कि दिल्ली राज्य सरकार ने कुछेक दिन पहले इस परियोजना को दिल्ली राज्य में क्रियान्वित करने का फैसला किया है । केवल दिल्ली राज्य में लगभग ३०,४५० छात्र तथा छात्राएं इस के अन्तर्गत आ जायेंगी । दिल्ली राज्य में १२१ बाल-विद्यालय तथा ७८ बालिका-विद्यालय हैं तथा यह स्कीम धीरे धीरे इन सभी संस्थाओं में लागू की जायेंगी ।

मैं समझता हूं कि प्रशिक्षकों के लिए, जोकि स्कूलों के अध्यापक ही होंगे, शीघ्र ही ट्रेनिंग कोर्स शुरू करना सम्भव होगा । यह काम राष्ट्रीय केडिट कोर अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों द्वारा किया जायगा । जब विद्यालयों के अध्यापकों को कुछ सप्ताह यह ट्रेनिंग दी जायगी तो वह इस की समाप्ति पर अपने अपने कालिजों तथा स्कूलों में छात्रों तथा छात्राओं को आवश्यक विषय में यह ट्रेनिंग दे देंगे ।

सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सहायक केडिट कोर के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा । सरकार का यह विचार है कि इस स्कीम को यथा सम्भव शीघ्र ही सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में आरम्भ किया जाये । राष्ट्रीय केडिट कोर कमांडरों को इस सिलसिले में अनुदेश दिया गया है कि वह अपनी अपनी राज्य सरकारों से सम्बन्ध स्थापित करें तथा अपनी ठोस प्रस्थापनाएं तैयार करके राष्ट्रीय केडिट कोर के निदेशालय के पास भेज दें । सहायक केडिट कोर राष्ट्रीय केडिट कोर के उपरि निरीक्षण में काम करेगी ।

इस के अलावा प्रादेशिक सेना भी है । १८ वर्ष से ऊपर की आयु के छात्र इस में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि इस की टुकड़ियां उन के अपने अपने क्षेत्र में मौजूद हों । गत बजट वादविवाद में सदन को बताया गया है कि शहरों में इस सेना में लोगों की भर्ती संतोषजनक नहीं रही है । कालिजों में पढ़ने वाले छात्र आसानी से इस में शामिल हो सकते हैं । हम उन को वहां ले सकते हैं ।

प्रादेशिक सेना का कार्य आपात में सेना को अतिरिक्त कर्तव्यों से मुक्त रखना है । यह ऐसी परिस्थितियों में विमान-भेदी तोपों को चलाने के लिए ज़िम्मेदार होगी तथा तटीय संरक्षण का कार्य भी इसे करना होगा । प्रादेशिक सेना के सैनिकों तथा अधिकारियों के कुछ सैनिक दायित्व भी हैं । इस में जो भी लोग शामिल होते हैं उन्हें किसी आपात के समय भी बुलाया जा सकता है । प्रादेशिक सेना परियोजना में उतने व्यक्ति शामिल नहीं हुए हैं जितने कि इस में होने चाहियें थे । यदि माननीय सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कोई दिलचस्पी रखते हैं तो वह शिक्षित युवकों को प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए आग्रह कर सकते हैं ।

प्रादेशिक सेना में ट्रेनिंग सामान्यतः सायंकाल में अथवा सप्ताहान्त में अथवा छुट्टियों में दी जाती है, तथा प्रशिक्षार्थियों को वर्ष में कुछ विशिष्ट समय के लिए ट्रेनिंग करनी होती है जिस के बाद कि उन्हें प्रत्येक वर्ष के अन्त पर कैम्प में रहना पड़ता है । इस तरह से हमारे कालिजों के छात्र अपने काम में हर्ज किये बिना प्रादेशिक सेना में शामिल हो सकते हैं । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने रसूख से काम ले कर हमें प्रादेशिक सेना में अपना लक्ष्य पूर्ण करने में सहायता देंगे ।

प्रादेशिक सेना की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की गत बैठक में यह फैसला किया

[श्री सतीश चन्द्र]

गया था कि हमारी एक ऐसी परियोजना भी होनी चाहिये जिस के अन्तर्गत कि प्रादेशिक सेना में भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य न होगा कि उन्हें आपात के समय सेवा के लिए बुलाया जाय । जैसे कि राष्ट्रीय केडिट कोर के साथ सहायक केडिट कोर रखा गया है, इसी तरह से और एक स्कीम सहायक प्रादेशिक सेना की तैयार की गई है । सहायक प्रादेशिक सेना अधिक लोगों को कम खर्चे पर सैनिक ट्रेनिंग देने की कोशिश करेगी । सैनिक सेवा के सम्बन्ध में इस में ट्रेनिंग पाने वाले व्यक्तियों पर कोई दायित्व नहीं होगा । १८ वर्ष से ले कर ४० वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति इस में शामिल हो सकते हैं । विभिन्न स्थानों पर एक सप्ताह के लिये शिविर लगेंगे तथा इन में ट्रेनिंग दी जायगी । इसे शीतकाल में आरम्भ करने का विचार है जब कि तीनों कमानों में १२ शिविर खोले जायेंगे और प्रत्येक शिविर में ४८० व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे । इस तरह से हम आने वाली सर्दियों में १७२८० व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे सकेंगे । इन शिविरों में बन्दूक चलाने की प्रारम्भिक ट्रेनिंग आदि दी जायगी । इस तरह से सशस्त्र बलों को छोड़ के हमारे पास चार परि-योजनाएं हैं तथा इस से यह स्पष्ट है कि सरकार इस दिशा में यथासम्भव कोशिश कर रही है ।

इस समय वास्तव में युवकों को सैनिक शिक्षा देने की समस्या उतनी उग्र नहीं है जितनी कि उन्हें काम दिलाने की है । कालिजों तथा स्कूलों से निकलने वाले छात्रों को आज इसी विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा उन के लिए किसी विशिष्ट दिशा में अपना जीवन आरम्भ करना असंभव बन रहा है । सदन को इस बात का फैसला करना होगा कि क्या उन्हें सैनिक शिक्षा देनी महत्वपूर्ण है अथवा क्या उन्हें बेकारी की समस्या का मुकाबिला करने के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण है । यह पूर्ववर्तिता का एक प्रश्न है । हमें देखना है कि किस समस्या को पहले हल किया जाये । एक तरफ हमारे पास टैक्नीकल कमकरों की कमी है, दूसरी तरफ काम के अवसर कम हैं ।

श्री जे० बी० कृपलानी (भागलपुर व पुर्निया) : बहुत से टैक्नीकल विशेषज्ञ बेकार पड़े हैं ।

श्री सतीश चन्द्र : किसी विशिष्ट प्रकार के टैक्नीकल विशेषज्ञ बेकार होंगे ।

टैक्नीशियनों की भारी कमी है विशेषकर अनुभवी टैक्नीशियनों की, हो सकता है कि बहुत से लोगों ने प्रारम्भिक प्रकार की टैक्नीकल ट्रेनिंग की हो । किन्तु विशेषज्ञों की उपलब्धि का प्रश्न सदैव हमें परेशान करता रहा है । इस बात का उल्लेख करना तथा इस के निवारण का सुझाव देना मेरा काम नहीं है । परन्तु इसे हल करना ही होगा ।

आप को मालूम होगा कि गत गर्मियों की छुट्टियों में ५ शिविर लगे थे जिन मे कि कई हज़ार छात्रों ने भाग लिया था । सितम्बर तथा अक्तूबर में और पांच शिविर लगेंगे । केडिटों को शारीरिक परिश्रम करने के लिए कहा गया । कई स्थानों पर उन्हों ने नालों नालियों की सफाई की, नहरों को चौड़ा किया तथा कई ऐसे काम किये जो कि उन्हों ने पहले नहीं किये थे तथा जिस के कि वह आदी नहीं थे । मुझे मालूम नहीं कि क्या कुछ माननीय सदस्यों ने इन शिविरों को देखा था अथवा नहीं । इन लड़कों ने बड़े शौक से काम किया तथा उन्हें अपने काम पर बड़ी प्रसन्नता हुई । इन्हों ने एक महीने के लिए छे घंटे प्रतिदिन काम किया । मैं ने इन में से कुछ शिविरों

को देखा; इंजीनियरों ने जो कि इन के साथ काम कर रहे थे इन की बड़ी प्रशंसा की। इस से जहां इन्हें काम करने का मौका मिला वहां इन्हें देश के पुनर्निर्माण की समस्या को भी समझने का मौका मिला। यह प्रयोग बहुत सफल रहा है तथा मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में हम और भी बड़े शिविर खोल सकेंगे जिन में कि और अधिक लड़के शामिल हो कर अपने में सामाजिक दायित्व की भावना तथा रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकें।

हमारी शिक्षा प्रणाली की त्रुटियां यथा-सम्भव सैनिक ट्रेनिंग की परियोजनाएं प्रस्तुत कर के दूर की जा रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय केडिट कोर तथा सहायक केडिट कोर जो कि केवल छात्रों तथा छात्राओं के लिये पुरःस्थापित किये गये हैं धीरे धीरे अधिकाधिक लोकप्रिय होते जायेंगे।

मैं उन मित्रों से सहमत हूं जिन्हों ने कि यह कहा कि युवकों की रचनात्मक शक्ति तथा उनके उत्साह को रचनात्मक कार्यों की ओर लगाया जाना चाहिये। हम सीमित क्षेत्र में ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय केडिट कोर तथा सहायक केडिट कोर युवकों को देश के अच्छे नागरिक बनने के लिये अधिक अवसर उपलब्ध करेंगे।

पूर्व वर्णित कारणों को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन संकल्प इस के वर्तमान रूप में हमें स्वीकार नहीं। धन, जन तथा सामान की कमी के कारण सभी स्कूलों तथा कालिजों में छात्रों तथा छात्राओं को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देना सम्भव नहीं है। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे पूर्ण चर्चा, यदि आवश्यक हो, के पश्चात वापस ले लें।

सभापति महोदय : मैं ने दो संशोधन श्री एस० एन० दास तथा श्री चन्द्र शेखर भट्ट के तथा दो संशोधन श्री हेडा के प्राप्त किये हैं। यह संशोधन की नई सूचनाएं हैं।

इस के सम्बन्ध में, मैं, इस सदन के राष्ट्रपति के एक पुराने निर्णय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस अवसर पर निर्णय देते हुए राष्ट्रपति ने कहा था कि, "सामान्य व्यवहार यही होना चाहिये कि वादविवाद के बीच में संशोधन न लाये जावें। यदि कोई ऐसा संशोधन हो जो सह-मति से किया गया हो तो वह किसी समय भी लाया जा सकता है। मेरा आशय यह नहीं हैं कि अध्यक्ष के अधिकार को मैं कम करना चाहता हूं। जहां कहीं कोई संशोधन आवश्यक हो तो वे उस की आज्ञा दे सकते हैं"।

इन संशोधनों को मैं ने देखा है। इन में कोई नई बात नहीं है। यदि यह प्रथा बन जायगी तो वास्तविक वादविवाद का समय ही नहीं आयेगा। अतः मैं, अपना स्वविवेक प्रयोग करते हुए, निर्णय करता हूं कि इन संशोधनों पर सदन द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि बेकारी के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव है। वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन की इच्छा है कि वर्तमान प्रस्ताव पर सारे दिन वादविवाद होता रहे? सोलह व्याख्यान हो चुके हैं; लगभग १२-३० बजे तक यह वाद विवाद और चलता रहे और कुछ और व्याख्यान हो जावें। उस के बाद १२-३० या १ बजे तक दूसरा प्रस्ताव ले लिया जाय।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : श्रीमान, बेकारी वाला प्रस्ताव कम से कम १२ बजे तक ले लिया जावे।

सभापति महोदय : कठिनाई यह है कि ग्यारह बज कर दस मिनट हो चुके हैं सरकारी प्रवक्ता को समय देना है और उसके पश्चात प्रस्तावक को भी समय देना है कि वह अपना उत्तर दे सकें। समय इतना कम है कि अधिक से अधिक दो सदस्य और बोल सकते हैं परन्तु लगभग २० सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर बोलने की इच्छा प्रकट की है। अतः मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक १२-४५ पर मुझे इस प्रस्ताव पर मत दान ले लेना चाहिये।

श्री ए० के० गोपालन : मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम १२-३० बजे तक हम बेकारी के प्रस्ताव को ले लें। मुझे कुछ समय प्रस्ताव पुरः स्थापित करने में भी लगेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को तीस मिनट का समय मिलेगा जो हमेशा प्रस्तावक को दिया जाता है।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस बात पर ध्यान देते हुए कि अन्य सदस्य भी हैं जिन के नाम तालिका में नहीं हैं और जो इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं यह अच्छा होगा कि दूसरा प्रस्ताव किसी और दिन लिया जावे।

सभापति महोदय : यदि सभी सदस्य बोलना चाहें तो इस प्रस्ताव के लिये न केवल आज का दिन वरन् दो तीन दिन और चाहिये। दूसरा प्रस्ताव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मेरा विचार है कि यह कहना अधिक उचित होगा कि सदन का यह मत है कि १२-४५ बजे दूसरा प्रस्ताव ले लिया जावे। अब मैं श्री आल्तेकर से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण आरम्भ करें। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे दस मिनट में अपना व्याख्यान समाप्त कर दें जिस में अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सभापति का निर्णय है ?

सभापति महोदय : मेरे विचार में यह सदन का मत है।

प्रो० एस० एन० मिश्र : क्या में एक समझौते का सुझाव दे सकता हूं ? हमारा विचार है कि सरकार देश की बेकारी की परिस्थिति के सम्बन्ध में एक व्यापक वक्तव्य दे देवे और सदन उस पर अच्छी तरह वाद-विवाद करले। वर्तमान प्रस्ताव उसी समस्या के एक पहलू पर वाद विवाद को केन्द्रित करने का अवसर प्रदान करेगा ?

सभापति महोदय : यह सरकार का कार्य है कि वह वक्तव्य देना पसन्द करे। जब यह प्रस्ताव आ जायगा तो सरकार को भी उस प्रकार का वक्तव्य देने का अवसर होगा जिस की ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है। अतः मैं अपने निर्णय पर दृढ़ हूं।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : भारत का उद्देश्य है कि देश के अन्दर तथा देश के बाहर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति तथा उन्नति को प्रोत्साहन दिया जाय। अतः जो सैनिक शिक्षा हम नवयुवकों को दें उस का हमारे उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिये।

यदि हम अनिवार्य सैनिक शिक्षा की नीति अपनायेंगे तो इस का अर्थ यह होगा कि हम सारे देश का सैन्यकरण करना चाहते हैं जिन देशों ने ऐसी नीति अपनाई है उन के अनुभव को देखने से जान पड़ता है कि इस प्रकार की नीति का परिणाम सैनिक आक्रमण में होता है। हमारे देश ने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है। हमें तो केवल अपने देश की रक्षा करने की आवश्यकता है। रक्षा करने के लिये जितनी सैनिक शक्ति की आवश्यकता होती है उस की तीन गुनी आक्रमण के लिये

होती है । इस लिये स्कूलों तथा कालिजों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा इस देश के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नहीं है ।

आज कल की लड़ाई ऐसी नहीं होती है जैसी पचास वर्ष पूर्व होती थी वरन् इस में मशीनों का उपयोग अधिक होता है ; इसलिये संख्या के स्थान पर गुण-प्रकार अधिक महत्व पूर्ण हैं। अतः यदि हमारे पास देश की रक्षा के लिये पर्याप्त धन हो तो हमें चाहिये कि हम उस का उपयोग अपनी सेनाओं को नवीनतम शस्त्रों से सुसज्जित करने में तथा इसी प्रकार के शस्त्रों के निर्माण करने में करें। स्कूलों तथा कालिजों से एन० सी० सी० के द्वारा हमें उतने आदमी लेना चाहिये जितने अधिकारियों की हमें अपनी सुरक्षा सेनाओं के लिये आवश्यकता है ।

सैनिक शिक्षा केवल उन्हीं को देना चाहिये जो अधिक बुद्धिमान हैं तथा कुशल बुद्धि के हैं । इसलिये सैनिकों की भर्ती स्कूलों तथा कालिजों से ही करना चाहिये । सैनिक शिक्षा का आधार एच्छिक होना चाहिये जिस से जिन की इच्छा हो वही सैनिक जीवन अपनावें । और स्कूलों तथा कालिजों के छात्रों की इतनी बड़ी संख्या पर व्यय किया जाने वाला धन व्यर्थ न हो । यदि बीस तीस लाख छात्रों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी गई तो इस संख्या के दशांश भी सैनिक जीवन नहीं अपनायेंगे । अतः मैं चाहता हूं अनिवार्य सैनिक शिक्षा के स्थान पर उन को, जो सैनिक शिक्षा लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल तथा सहायक छात्र सैनिक दल के द्वारा सैनिक शिक्षा दी जावे । इस प्रकार हमारी सुरक्षा सेनाओं के लिये पर्याप्त संख्या में बुद्धिमान नवयुवक मिल जायेंगे ।

मैं एक ऐसी संस्था का सभापति हूं जो हाई स्कूल तथा अन्य स्कल चलाती हैं तथा मेरा अनुभव है कि कुछ छात्र जो अपनी बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं वे एन० सी० सी० में भाग नहीं लेते हैं । इस वर्ष, बम्बई राज्य में, एस० एस० सी० परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र जो मेरे ही स्कूल का था उस ने एन० सी० सी० में भाग नहीं लिया था । एच्छिक आधार पर मेरे हाई स्कूल के ३३ छात्रों ने सैनिक शिक्षा प्राप्त की । यह वाहिनी तीन चार वर्ष से सारे राज्य में प्रथम स्थान पा रही है । । इस के सम्बन्ध में हमें २,४०० रुपये का खर्च पड़ता है । इस में से १,४०० रुपये राज्य के अनुदान से तथा १,००० रुपये स्कूल निधि से व्यय होते थे । परन्तु अब यह भी अनुदान बन्द हो गया है । परिस्थिति तो ऐसी है कि एच्छिक आधार पर एन० सी० सी० की शिक्षा को जारी रखना भी कठिन हो रहा है । अब प्रश्न यह है कि छात्रों को सैनिक शिक्षा एच्छिक आधार पर दी जावे या अनिवार्यता के आधार पर जैसा कि सुझाव दिया जा रहा है ।

मेरा सुझाव है कि यदि एन० सी० सी० की टुकड़ियों की संख्या बढ़ा दी जावे तो हमें पर्याप्त संख्या में ऐसे छात्र मिल जावेंगे जो सैनिक जीवन अपनावेंगे तथा जो देश की सुरक्षा का भार वहन करेंगे ।

अनिवार्यता के आधार पर सैनिक शिक्षा अत्यन्त अव्यवहारिक तथा महंगी पड़ेगी । मैं निवेदन करता हूं कि एन० सी० सी० तथा सहायक छात्र सैनिक दलों का विस्तार बढ़ा दिया जावे तथा यदि राज्य सरकारें इस कार्य के लिये पर्याप्त अनुदान नहीं दे सकती हैं तो केन्दीय सरकार को चाहिये कि आवश्यक वित्त का प्रबन्ध करे ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं ने इसी सदन में बहुत से वाद विवाद सुने, परन्तु इस संकल्प पर जो वाद विवाद हुआ वह

[प्रो० डी० सी० शर्मा]

अत्यन्त ही घटिया था। मैं विवाद के विषय को भी नहीं समझ पाया। क्या हम देश के नवयुवकों के मानसिक विकास की बात कर रहे थे, अथवा बेकारी की समस्या को, या शिक्षा पद्धति को सुधारने पर विचार कर रहे थे ? मुझे कहना पड़ता है कि इस विषय पर विवाद बहुत उलझा हुआ था।

एक सदस्य ने कहा कि यह संकल्प हानिकारक नहीं, क्योंकि आवश्यक सैनिक शिक्षा से देश का सैनिकीकरण नहीं होगा। परन्तु देश के नवयुवकों को आवश्यक सैनिक शिक्षा दे कर यह आशा रखना कि देश का सैनिकीकरण नहीं होगा, ग़लत है। जर्मनी और जापान में आवश्यक सैनिक शिक्षा की नीति से क्या परिणाम निकला ? वे युद्ध-प्रिय राष्ट्र बन गये। अतः इस समय हमारे लिये आवश्यक सैनिक शिक्षा का विचार करना योग्य नहीं है।

हम अविकसित देश में रहते हैं, जहां हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक को पेट भर कर रोटी नहीं मिलती, पहनने के लिये पर्याप्त कपड़े नहीं मिलते, अच्छी खुराक नहीं मिलती, और हम उन को आवश्यक सैनिक शिक्षा देने का विचार कर रहे हैं। पहली आवश्यकता है पंचवर्षीय योजना की पूर्ति। उस के पूर्ण होने के उपरान्त हम इन विद्यार्थियों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण देने का विचार कर सकते हैं, परन्तु उस से पहले नहीं।

एक सदस्य ने कहा कि रक्षा तथा शिक्षा के विभागों में समन्वय होना चाहिये। परन्तु ऐसा तो केवल आकस्मिकता के दिनों में ही हुआ करता है, सदा नहीं। और हम आकस्मिकता के दिनों में नहीं बस रहे। भारत को प्रमुख आवश्यकता है इस बात की कि विद्यार्थियों के हृदय में निराशा न रहे। परन्तु वह इस ढंग से दूर नहीं हो सकती, वह तो योग्य ढंग की शिक्षा देने से ही दूर हो सकती है। सैनिक-प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद तो युद्ध का नाम ही प्रिय लगता है, जैसा जर्मनी में हुआ।

सैनिक प्रशिक्षण से यह आशा की जाती है कि इस के द्वारा अनुशासन, सहकार्य-भाव तथा स्वास्थ्य की उन्नति होगी। परन्तु यह सर्वथा ठीक नहीं है। इस प्रशिक्षण से हमारे सामाजिक दोष दूर होने वाले नहीं, उन के लिये तो अलग इलाज करना पड़ेगा। केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से इस का उपयोग है, और वह बाल्यकाल से ले कर उच्च शिक्षा की प्राप्ति तक चलना आवश्यक है। इस के लिये रक्षा मंत्रालय की सहायता की आवश्यकता नहीं। देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करने की आवश्यकता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि कर सके।

दूसरी बात यह है कि हमें अपने देश के विद्यार्थियों और नवयुवकों में श्रम की महानता का भाव पैदा करना चाहिये। मैं ने राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय के शिविरों में विद्यार्थियों को हाथ से काम करते देखा है; उन में बड़ा सहकार्य-भाव है। बुकर वाशिंगटन ने कहा था कि हल चलाने में और कविता लिखने में एक सी ही महानता है। आवश्यकता इस बात की है कि देश के नवयुवक श्रम की महानता को समझें।

तृतीय बात यह होनी चाहिये कि हमारे विद्यार्थियों में अनुशासन हो। यू० पी० की हड़ताल को आप ने सुना। हमारे विश्व-विद्यालयों में अनुशासन का यह हाल है। इस का निदान यही है कि नवयुवकों को क्रियात्मक कार्यवाइयों में लगाया जाय।

अतः मैं कहूंगा कि देश के बालकों और बालिकाओं के लिये शारीरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, तथा आवश्यक रूप में हाथ से काम करने की शिक्षा दी जानी चाहिये।

यह योजना किसी भी दृष्टि से राष्ट्रीय हितों के लिये उपयोगी नहीं है। मैं प्रति दिन सुनता हूं कि रक्षा पर रुपया अधिक खर्च होता है। मैं रक्षा विभाग पर रुपया खर्च होने के पक्ष में हूं, कारण कि इस विभाग के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक कार्य भी होते हैं। भारत के लिये आवश्यकता केवल इस बात की है कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिये, और शारीरिक योग्यता तथा आवश्यक हाथ का काम दिया जाना चाहिये तथा विद्यार्थियों को क्रियात्मक कार्यवाइयों में लगाना चाहिये।

श्री जोकीम आल्वा : अंगरेज़ों के राज्य में भारतवासियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना स्वतंत्रता की आशा के लिये आवश्यक जंचता था। परन्तु अब स्वतंत्र भारत में बालकों के लिये खाद्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा स्वस्थ मन की आवश्यकता है। और राष्ट्र-निर्माण के लिये हमें इन ही बातों को प्रमुख स्थान देना चाहिये।

जब अंगरेज़ों ने १८५७ में भारतीयों को पराजित किया, तो उन्होंने राष्ट्र विभाजन के लिय सिख सेना, हिन्दू सेना आदि का विभाजन कर के राष्ट्र की एकता को खण्डित करने का प्रयत्न किया। १९४७ से पहले हम भी आवश्यक सैन्य-प्रशिक्षण के पक्ष में थे। फ्रांस ने सेना की महत्ता पर ज़ोर दिया और उसका परिणाम फ्रांस की क्रान्ति के रूप म प्रकट हुआ। प्रसिया ने भी सशस्त्रीकरण में विश्वास रखा, परन्तु अन्ततः उन को भी अपना विचार बदलना पड़ा।

प्रथम महायुद्ध ने उन राष्ट्रों को सैनिक शक्ति की प्रेरणा दी, परन्तु द्वितीय महायुद्ध से पहले ही उन का विचार बदल गया था। और अब हम सशस्त्र हो कर क्या अपने पड़ौसी राष्ट्रों पर धावा करने वाले हैं? नहीं, हम शान्ति के साथ रहना चाहते हैं। यदि हम अपने राष्ट्र को सैनिक राष्ट्र बनाने में लग जायें, तो हमारे लिये खाद्य सामग्री कहां से आयेगी और हम राष्ट्र-निर्माण की कार्यवाइयां नहीं कर सकेंगे।

युद्ध से राष्ट्र को मृत्यु होती है। हम शान्ति का प्रचार करते हैं और स्थायी सेना भी रखते हैं। जब तक हम सैनिक, वायु सेना तथा समुद्र सेना की व्यवस्था नहीं कर पाते, तो हम कैसे आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण का प्रबन्ध कर सकते हैं? हमें तो यह देखना है कि हमारे नवयुवक और युवतियां विद्या प्राप्त करें और उन का मानसिक विकास हो। हम उन को तोपों के गोले बना कर नष्ट करना नहीं चाहते। शान्ति प्रिय राष्ट्र को युद्ध प्रिय राष्ट्र बना कर पड़ौसी राष्ट्रों पर धावा करना अथवा विवेक हीन कृत्य करना हमारे लिये घातक है।

हमारे पास एन० सी० सी० के लिये भी पर्याप्त धन नहीं है। प्रौफैसरों के वेतन भी देने होते हैं। हमें एन० सी० सी० में बालिकाओं के लिये भी एक विभाग बनाना है। धन की कमी के कारण बम्बई में बालिकाओं का एन० सी० सी० विभाग नहीं बनाया जा सका, और यही अवस्था दूसरे राज्यों की भी है। हमें द्वितीय रक्षा पंक्ति के लिये भी नवयुवकों के लिये निम्न विभाग की स्थापना करनी है। और जब इस कार्य के लिये हमारे पास धन नहीं है, तो आवश्यक सैन्य-प्रशिक्षण के लिये धन कहां से आयेगा? हम अपनी वायु सेना के लिये २० करोड़ और समुद्री सेना पर १० करोड़ रुपये का उपबन्ध कर सकते हैं। हमारे पास अंगरेज़ों के टूटे फूटे समुद्री जहाज़ हैं, और हमें इन को भी वैज्ञानिक ढंग पर ठीक करना है। और युद्ध-प्रशिक्षण के लिये अंग्रेज़ अफसरों को वेतन भी देना है। तथा विशाखापटनम में जहाज बनाने का उद्योग भी सफल करना है, जो कम रुपये में जहाज तैयार करेगा। वायु सेना

[श्री जोकीम आल्वा]

की दृष्टि से हमें हवाई अड्डों और अनेक स्थानों को सुसज्जित करना होगा। जब इतने काम हमारे सामने हैं और हमें उन के लिये रुपये की आवश्यकता है, तो हम आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण के लिये रुपया कहां से निकाल सकते हैं जब तक हमारे नवयुवक विद्यार्थियों के मन स्वस्थ नहीं होते तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता । अमेरिका और इंगलैण्ड भी युद्ध और सशस्त्रीकरण के विरोधी थे । केवल युद्ध के दिनों में ही वे सशस्त्रीकरण का पक्ष लेते हैं । प्रथम महायुद्ध से पहले इंगलैंड भी युद्ध का विरोधी था परन्तु जर्मनी के होने वाले आक्रमण को भांप कर उस ने युद्ध की तैयारी की । द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर सब राष्ट्रों ने सशस्त्रीकरण की आवश्यकता को अनुभव किया । मजबूरी के कारण सशस्त्रीकरण किया गया । परन्तु हम अपने कृषि-प्रधान देश को औद्योगिक देश बनाना चाहते हैं और सशस्त्रीकरण के द्वारा हम अपने उद्योगों को नष्ट नहीं करना चाहते । नेपोलियन की वाटरलू में असफलता से हमें चेतावनी मिलनी चाहिए । युद्ध में करोड़ों व्यक्ति मारे गये । हम अपने राष्ट्र के साथ ऐसा होने देना नहीं चाहते । हम सशस्त्रीकरण कर के अपने पड़ौसी देशों पर धावा बोल कर व्यक्तियों को मरवाना नहीं चाहते । रूस ने ३५० सब मैरीन बनाई हैं, हमें भी सब मैरिन का विकास करना है । हम जो रुपया आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण पर खर्चा करना चाहते हैं, उसे हमें अपने नवयुवकों और नवयुवतियों की शिक्षा, अनुशासन तथा मानसिक स्वस्थता के लिये खर्च करना चाहिये। हमारे विश्वविद्यालयों की बुरी दशा है । हमारे भावी राष्ट्र-निर्माताओं में बड़ों के लिये आदर नहीं तथा अनुशासन नहीं । ऐसी अवस्था में हमें राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करन के लिये वायुसेना और समुद्री सेना को मजबूत करना चाहिए, तथा एन० सी० सी० को बढ़ाना चाहिए, और द्वितीय रक्षा-पंक्ति को भी मजबूत करना चाहिये । हमें इन सब कामों पर रुपया खर्च करना है, जो वास्तव में राष्ट्र के लिये आवश्यक है । और हमें बाकी राष्ट्रों की किस्मत से चेतावनी ले कर योग्य दिशा में कदम उठाना चाहिये ।

डा० सुरेश चन्द्र : कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग के ऊपर हुई बहस को मैंने काफ़ी गौर से सुना और मुझे उस बहस को सुन कर के सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ कि इस हाउस में, इस संसद् में, इस तरह का एक प्रस्ताव लाया जाय, क्योंकि आज हिन्दुस्तान के सामने जो सवाल है, वह मिलेटरी ट्रेनिंग का सवाल नहीं है । हमारी सभ्यता, हमारा स्ट्रगल (संघर्ष) हमारी कशमकश और हमारे तमाम इतने सालों के बुनियादी उसूल इस मिलेटरी ट्रेनिंग के खिलाफ़ हैं । आज से पचास, साठ साल पहले जब पहले हम ने वहां पर अपनी आज़ादी की बुनियाद रक्खी तो उस की बुनियाद मिलेटरी के ऊपर या वायलेंस (हिंसा) के ऊपर नहीं थी और आज जब हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया है उस के बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारी फारेन पालिसी (विदेशी नीति) रक्खी है या जो हिन्दुस्तान की पालिसी है वह शान्ति के उसूलों पर है न कि हिंसा के उसूलों पर है । यदि हम आज इस प्रस्ताव को मान लेते हैं कि कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग स्कूल और कालिजों में रक्खेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हम उस सेंस आफ़ फ्रस्ट्रेशन (निराशा की भावना) को जिस के लिये यह प्रस्ताव रक्खा गया है उस सेंस आफ़ फ्रस्ट्रेशन को नहीं हटा सकते हैं और न ही मैं इससे सहमत हूं जैसा कि मेरे दोस्त डा० राम सुभग सिंह ने कहा है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह ग़लत शिक्षा

प्रणाली है और उस कारण शिक्षा प्रणाली में जो दोष आये हैं उन दोषों को हटाने के लिये हमें मिलेटरी ट्रेनिंग चाहिये । मैं नहीं समझ सकता कि मिलेटरी ट्रेनिंग के ज़रिए से आप हमारी शिक्षा प्रणाली में आये दोषों को हटा सकते हैं । मेरे से पहले एक दोस्त प्रोफेसर दीवान चन्द्र शर्मा ने बिल्कुल सच कहा कि कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग देने के बजाय हमारे नौज़वानों को जो कि स्कूलों और कालिजों में पढ़ते हैं उन का ध्यान बुनियादी शिक्षा प्रणाली की ओर आकर्षित करें जिस बुनियादी शिक्षा प्रणाली की प्रेरणा महात्मा गांधी ने और दूसरे शिक्षकों ने दी थी, अगर हम अपने नौजवानों को उस पर चलायें तो मैं समझ सकता हूं । इस प्रस्ताव के बजाय अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता जिस में हम यह कहते कि हमें और ज्यादा पैसा दिया जाय जिस से कि हमारे मौलाना आज़ाद साहब यह न कह सकें कि हमारी जेबें ख़ाली हैं, दिमाग़ खाली नहीं, हमारी शिक्षा को ज्यादा मज़बूत बनाने के लिये जिस से कि जेबें शिक्षा के लिये खाली न हो सकें, अगर ऐसा प्रस्ताव लाते तो मैं समझता हूं कि यह संसद् पूरी मज़बूती से और एक आवाज़ से उस प्रस्ताव का समर्थन करती । लेकिन आज जो प्रस्ताव डाक्टर राम सुभग सिंह का पेश है, मैं उस प्रस्ताव का बड़े ज़ोर के साथ विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि यह हमारी आज की पालिसी आज की गवर्नमेंट की पालिसी और हमारी सब पूरी पालिसी के बिल्कुल ख़िलाफ है । जर्मनी आदि दूसरे मुल्कों में रहने के बाद मैं आप को यह कह सकता हूं कि इस तरह की पालिसी और इस तरह की स्कूलों में मिलेटरी स्पिरिट कायम करने से लोगों में एक बार मेंटेलिटी (मनोवृत्ति) एक बार साइकोलोजी (मानसिक अवस्था) पैदा हुई और मैं उस ज़माने में था जिस ज़माने में हिटलर जुंगड कायम किया गया और हिटलर जुंगड बिल्कुल उसी रूप में था जिस रूप में आप ने यह कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग स्कूल, कालिजों में देने का प्रस्ताव रक्खा है । इस हिटलर जुंगड ने अन्तिम समय में जब कि बर्लिन के अन्दर हिटलर और रूस में लड़ाई चल रही थी और जिस अवसर पर हिटलर की फौजें हार चुकी थीं और उन में भी एक सेंस आफ़ फ्रस्ट्रेशन क़ायम हो चुका था, उस अन्तिम अवसर पर इस हिटलर जुंगड ने पेंज़र फ़ास्ट और दूसरे हथियार ले कर रशियन टैंकों के खिलाफ बर्लिन की सड़कों पर खप जाते थे । इस तरह की फ़ेनेटिसिज्म और मिलेटरी स्पिरिट यदि आप इस देश के अन्दर जो इस के खिलाफ़ है, पैदा करना चाहते हैं तो आज इस प्रस्ताव को आप पास कर सकते हैं, वरना हरगिज़ आप को इसे पास नहीं करना चाहिए । इसके बजाय मैं कहूंगा कि आप की आज की मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है, अनएम्पलायमेंट (बेकारी) की समस्या है और जिस के बारे में हमारा प्रस्ताव आयेगा, उस अनएम्पलायमेंट की समस्या को और वह अनएम्पलायमेंट एजूयकेटेड अनएम्लायमेंट है, उस समस्या को हल करने के लिए आज हम अपनी इनर्जी को लगायें । मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि हम आंध्र बिल पर कितनी अपनी इनर्जी लगा रहे हैं और बहस आदि कर रहे हैं, मैं उस बहस में यहां नहीं पड़ना चाहता, आंध्र बिल पर मैं बोलना चाहता था, उस बिल के ऊपर हम लैंग्वेज़ के बहाने से अपनी इनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन मैं आप से कहना चाहूंगा कि आज देश में लैंग्वेज की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत रोटी की समस्या हल करने की है । अगर आप देश में रहने वालों को रोटी और एम्पलायमेंट दे सकते हैं तो आप लैंग्वेज और दूसरी अन्य समस्याओं को हल कर सकते हैं और याद रखिए कि हिन्दुस्तान का नाम दुनिया के अन्दर मिलेटरिज्म से कभी नहीं

[डा० सुरेश चन्द्र]

हो सकता, आप का नाम आज दुनिया के अन्दर है, आज अगर जवाहरलाल का नाम किसी जगह है, हमारी फ़ारेन पालिसी की कोई पूछ है, कोरिया के अन्दर हमारी सेनाएं शान्ति के सन्देश को ले कर जाती हैं तो वह इसलिए जाती हैं, क्योंकि हम ने अपनी पालिसी को शान्ति के लिए और शान्ति के रूप में उस को रक्खा हे ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद—दक्षिण) : सेना के बजाय किसी दूसरे को क्यों नहीं भेजते ?

डा० सुरेश चन्द्र : हमारी भारतीय सेना जो वहां कोरिया में जा रही है, वह शान्ति के काम के लिये जा रही है, लड़ाई के लिए नहीं जा रही है । स्कूल कालिजों के लड़कों को जहां तक फ़िज़िकल ट्रेनिंग देने का ताल्लुक़ है, उस के बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूं और मेरा ख्याल है कि स्कूल और कालिजों में जब तक लड़कों को शारीरिक शिक्षा पूरी तरह से नहीं दी जायगी; उन को अनुशासन में नहीं लाया जायगा, तब तक हम अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रेसर नहीं कर सकते अगर हम इस बिल को पास कर दें तो जो पैसा, जो धन इस के अन्दर लगने वाला है, यदि हम उस को अपनी आर्थिक अवस्थाओं को सुधारने में लगा दें, हम ने पंच वर्षों की जो योजना बनाई है, अगर हम इस धन को उस की सफलता में लगा दें, तो मैं समझता हूं कि हम अपनी समस्याओं को हल करने में कदम आगे बढ़ा सकेंगे और दुनियां में हम ने जिन उसूलों को अपनाया है, और जिन उसूलों पर हम चलते आये हैं, उन को आगे बढ़ाने के लिये हम बहुत कुछ कर सकते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस ठहराव के बारे में मेरा कहना यह है कि जो इस शिक्षा की बात सिर्फ़ हाई स्कूलों और कालेजों के लिये कही जाती है अगर वह जनरल कम्पलसरी एजुकेशन हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हाई स्कूल और कालेजों में पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वह ज्यादातर उच्च वर्ण के होते हैं । मैं तो कहता हूं कि यह जो एजुकेशन है वह मासेज के लिये होनी चाहिये । क्या हमारे डाक्टर सुरेश साहब खाली अहिंसा के नारे से देश को स्वतंत्र रक्खेंगे ? कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन न कर के खाली अहिंसा के नारे लगाने से कैसे काम चलेगा ? पंडित जी की पालिसी देश के लिये अच्छी हो सकती है, मगर उन की फ़ारेन पालिसी अच्छी नहीं है । स्ट्रांग पालिसी होनी चाहिये । काश्मीर के ही बारे में देखिये । जब तक उस के लिये हमारी पालिसी स्ट्रांग नहीं होगी काम नहीं चल सकता । महार बटेलियन है, हम लोगों की बटेलियन है, हम लोग वारियर लोग हैं, मार्शल कम्यूनिटी के लोग हैं । मैं कहता कि मार्शल कम्यूनिटी के लोगों के लिये कम्पल्सरी मिलिट्री एजुकेशन होनी चाहिये । यदि ऐसा नहीं होगा तो देश की रक्षा कौन करेगा ? लड़ने को हम और खाने को आप ? मार्शल कम्यूनिटी वाले लड़ते हैं और यह लोग कहते हैं कि ज़रूरत नहीं । वह दिन अब चले गये जब गांधी जी की अहिंसा चलती थी, गांधी जी भी अब चले गये । उन के समय के लिये उन का नारा ठीक था, लेकिन आज जमाना दूसरा आने वाला है, उस के लिये जब तक हम में ताकत नहीं होगी, जब तक हम में डिसिप्लिन नहीं होगी, जब तक हम अपनी ताकत से दुश्मन से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे दुश्मन का नाश कैसे होगा ? इस वास्ते मिलिटरी एजुकेशन कम्पल्सरी होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि आज देश में जो स्पिरिट होनी चाहिये वह नहीं है । जिस प्रकार हम करोड़ों रुपया

दूसरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं उसी तरह इस पर भी करना चाहिये । आज हमें पैसे की बहुत आवश्यकता है यह ठीक है और इस कम्पल्सरी मिलिटरी ट्रेनिंग पर कई करोड़ रुपये लगेंगे, लेकिन उस का इन्तजाम कर के हम को इस को ज़रूर करना चाहिये ।

साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि यह सिर्फ़ आदमियों के लिये ही न हो । जो हमारी औरतें हैं, बहने हैं उन के लिये भी होनी चाहये जिस में हमारे देश की नौजवान औरतें भी देश की रक्षा का काम कर सकें । खाली गांधी जी का नाम लेने से तो सेना लड़ नहीं सकती है, इसलिये मिलिटरी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है । आज कल जो महार, मरहठा लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, जो लोग ज्यादा से ज्यादा मिलिटरी में आकर भर्ती होते हैं, जो मार्शल कम्यूनिटी के लोग हैं उन को ज्यादा से ज्यादा मिलिटरी ट्रेनिंग देने का जब तक इन्तजाम नहीं होगा तब तक हमारी रक्षा नहीं हो सकती है । महार बटैलियन है, चमार बटैलियन भी पहले थी, मझबी रैदास सिख बटैलियन है, आज तो आप उन को बन्द कर रहे हैं कम्यूनल होने के बहाने से, लेकिन मेरा कहना यह है कि जाति के नाम पर उन का नाम होना बुरा नहीं है । उस को बन्द नहीं करना चाहिये । लेकिन बात असल यह है कि हमारी गवर्नमेंट में कई कई मिनिस्टर आ जाते हैं , कई कई दिमाग में कई कई स्कीमें भी रहती हैं । हमारे सतीश बाबू आ गये डिप्टी मिनिस्टर हो कर, दूसरे त्यागी जी हैं और सब अपनी अपनी स्कीम बना रहे हैं । एक डिपार्टमेंट में चार मिनिस्टर बन गये और चारों मिनिस्टरों की चार तरह की स्कीमें हैं । इसीलिये कम्पल्सरी मिलिटरी एजुकेशन के बारे में सब गोलमाल हो रहा है, यह ठीक नहीं है । मैं तो कहना चाहता हूं कि कम्पलसरी मिलिटरी एजुकेशन सिर्फ़ हाई स्कूल और कालेजों के लिये ही नहीं होनी चाहिये बल्कि सब के लिये होनी चाहिये चाहे पढ़ने वाले लड़के हों या लड़कियां । औरतें, महिलायें सबके लिये होनी चाहिये । खाली बच्चे पैदा करना या खाली खाना बनाना ही औरतों का काम नहीं होना चाहिये । जब देश की रक्षा करने का सवाल हो तो उन में लड़ने की भी शक्ति होनी चाहिये । हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, बड़े साहब नहीं हैं लेकिन डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिये । मुझे यह मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट की पालिसी इसके बारे में क्या है, वह जैसा चाहे कर सकती है । हमारें मौलाना साहब भी नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि देश की रक्षा तभी हो सकती है जब कम्पलसरी एजुकेशन सब के लिये हो । इस लिये हमारे डा० राम सुभग सिंह ने जो ठहराव रक्खा है उस में इतना आल्टरेशन चाहता हूं कि उस में 'जनरल कम्पलसरी मिलिटरी एजूकेशन' होनी चाहिये और जो मार्शल कम्यूनिटी के लोग हैं, जैसे मरहठा, सिख, राजपूत, महार, चमार इत्यादि, इन लोगों के बच्चों की थोड़ी ज्यादा सहायता करने की कोशिश होनी चाहिये । अभी उन लोगों का ध्यान नहीं रक्खा जाता है । उन को सेना में भर्ती तो कर लिया जाता है लेकिन जब अफ़सर या अधिकारी बनाने का समय आता है तो दूसरे लोगों को बनाया जाता है । इस तरह से सेना में सवर्ण हिन्दू घुस जाते हैं । कमांडर इन चीफ आ जाता है तो परेड करने के लिये इन लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन जब बड़े अफसर या अधिकारी बनाने का सवाल होता है तो दलित वर्गों को छोड़ कर सवर्ण हिन्दू ले लिया जाता है । इस लिये मैं कहता हूं कि अनएजुकेटेड होने के बहाने हम लोगों के साथ इन्जस्टिस नहीं होना चाहिये । जो

[श्री पी० एन० राजभोज]

लोग मार्शल कम्यूनिटी के हैं और दलित वर्ग के उनको भी ज्यादा अफसर और अधिकारी बनने की सहूलियत होनी चाहिये ।

इतना बोल कर मैं इस रेज़ोल्यूशन में थोड़ा फेर फार करने के लिये कह कर इस को सपोर्ट करता हूं ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : फौजी शिक्षा को बाध्य नहीं बनाना चाहिए यह मेरी राय है बल्कि उस के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों में आकर्षण शक्ति पैदा करनी चाहिए । अब सवाल यह उठता है कि हम आकषण शक्ति कैसे पदा कर सकते हैं । शिक्षा के सम्बन्ध में उन के मन में दिलचस्पी पैदा करने के लिए ऊंचे ऊंचे आदर्श हमें उन के सामने रखने चाहिए । पुरातन लड़ाई का इतिहास तथा वर्तमान लड़ाई का इतिहास उन्हें बताना चाहिए । और इन चीज़ों को जब उन की मनोभावना में भरा जायेगा तो उस में रद्दोबदल हो सकता है । इस के अलावा उन को लड़ाई का विज्ञान, भूगोल, जवान कैसे तैयार किये जाते हैं, यह सारी चीज़ें और उन के चलने के वक्त के गाने और स्लोगन्स किस तरह के होने चाहिए जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, यह उन्हें बतलाना चाहिए । शिक्षा के कार्य में सिर्फ फौज़ी शिक्षा से ही काम नहीं चलेगा बल्कि अनुशासन के भीतर रह कर के जनता की सहायता का कार्य भी उन्हें करना चाहिए । इस में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं । इस में यह चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आग का बुझाना, नदी में बाढ़ आ जाय और कोई डूबता हो तो उसे बचाना और इस तरह के जो कार्य जनता के फायदे के लिए हों और जिन्हें करने से जनता को फायदा हो सकता है । जो लोग फौजी शिक्षा प्राप्त कर लें उन्हें योग्यता के मुताबिक बराबर जगहें दी जायें जिस से कि जो नौजवान हैं वे प्रोत्साहित हों और वह ज्यादा तादाद में इस में आवें ।

सभापति जी, सवाल अब हमारे सामने खर्च का उठता है और सरकार इसी कारण इस प्रश्न को लेना नहीं चाहती । जहां तक मेरा ख्याल है नेशनल कैडेट कोर पर जितना खर्च किया जा रहा है उतना तो आप नहीं कर सकते । हमें उस से बहुत कम खर्च करना है । हमारा सब से ज्यादा खर्च इंस्ट्रक्टर्स पर होता है, स्थायी फौजी आफिसर जो नेशनल कैडट कोर में तथा टैरीटोरियल आर्मी में कार्य करते हैं उनपर ज्यादा खर्च होता है । अभी छात्रों के लिए आग्ज़िलरी कैडट कोर बनाने का निश्चय किया गया है । उसे भारत के तमाम बच्चों में लागू करना बहुत ज़रूरी होगा । सभापति महोदय, मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि रिटायर्ड फौजी आफिसर या जो ऊंचे ओहदे के आफिसर्स हैं उन की मदद से उन को थोड़ा सा अलाउंस दे कर के प्रोफेसर्स और शिक्षकों को यदि फौजी शिक्षा दे कर उन पर कार्यभार सौंप दिया जाय तो पैसा कम खर्च हो सकता है । जितने ट्रेनिंग कालिज हैं, और जितने ट्रेनिंग स्कूल हैं वहां लोगों को अनिवार्य रूप से फौजी शिक्षा दी जाय और उन के शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उन्हें, जब कि गरमी के दिन आते हैं, तो समर क्लासेज़ में देकर उन की शिक्षा को पूर्ण किया जाय । टैरीटोरियल आर्मी, आग्जिलरी टरीटोरियल आर्मी, नैशनल कैडेट कोर और आग्जिलरी कैडेट कोर इन के अलग अलग आप हथियार रख कर के इन को शिक्षा देते हैं । इस में ज्यादा खर्च होता है । अगर इन सब के लिए अलग अलग अस्त्र न रख कर के उन को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाय तो उन से सब को शिक्षा प्राप्त हो सकती है तथा खर्च भी कम होगा । प्रान्तीय रक्षा दल, होमगार्ड्स, प्राविंशियल आर्म्ड पुलिस, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड

पुलिस इन सब के लिए अलग अलग शस्त्र न रख कर के इन सब को यदि एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाय तो इस में भी शस्त्रों पर कम खर्च होगा और जो पैसा ज्यादा शस्त्र देने में खर्च होता है उस में कमी होगी। जहां पर अस्त्र शस्त्र नहीं मिल सकते वहां आप डमी राइफिल्स से काम ले सकते हैं। और यह डमी राइफल्स जो वर्तमान आर्डनैंस फैक्टरी है इस के ज़रिए से तयार की जा सकती है। सभापति जी, फौजी शिक्षा किस को दी जाय, इस के बारे में मैं अर्ज़ करूंगा कि स्काउट्स आरगेनाइजेशन, स्काउट्स राइफल क्लब, और जो इस तरह की दूसरी संस्थाएं हैं जो सेवा करती हैं उन के साथ भी सहयोग होना ज़रूरी है, क्योंकि इस के कारण इस से फायदा यह होगा कि कम खर्च में हम उन्हें शिक्षा दे सकेंगे। जिस तरह से स्काउट्स के कैम्प होते हैं वहां पर भी यदि फौजी शिक्षा हम दें तो हम उन्नति कर पायेंगे। सवाल यह उठेगा कि आखिर वरदी, जूते और बैल्ट कहां से आवेंगे और कैसे आवेंगे। पूरे फौजी वस्त्र उन को न दिये जायं। जैसे कि स्काउट वरदी पहनते हैं, वैसे ही काम निकाला जाय, लेकिन जो गरीब नौजवान हैं, जिन को वस्त्र देना है, उन को उन के प्रमाण पत्र देने पर पूरी वरदी दी जाय। जूते और बैल्ट आप हारनैस सडलरी फक्टरा कानपुर में तैयार करा सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आप किस तरह से इसे पूरा कर सकेंगे तो मैं आप से कहूंगा कि लड़ाई के जमाने में कानपुर की फैक्टरी के अलावा आप के पास पांच और ब्रांचें थीं, जैसे मद्रास, बम्बई, बंगाल, कानपुर, अमृतसर, यह सब आज बन्द हैं। इन्हें आप चालू कर के नौजवानों को जो फौजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कम दाम में जूते और बल्ट दे सकते हैं।

मैं ने जो सुझाव दिये हैं व ज्यादा खर्चे के नहीं हैं, मगर इन पर विचार विनिमय करके कार्य रूप में लाना है। जो प्रस्ताव मेरे मित्र शाहाबाद दक्षिण के माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है मैं उस का हृदय से समर्थन करता हूं।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): इस संकल्प के प्रस्तावक, डा० राम सुभग सिंह, ने देश के नवयुवकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने के प्रश्न पर चर्चा करने का इस सदन को सुअवसर दिया है। जो कुछ भी इस के सम्बन्ध में कहा गया है मुझे विश्वास है सदन ने उस से लाभ उठाया होगा।

सरकार की ओर से मैं मामले को उलझाना नहीं चाहता हूं। सरकार के पास विद्यार्थियों अथवा देश के सभी नवयुवकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने की कोई योजना नहीं है और न सरकार का विचार ऐसी किसी योजना को लागू करने का है। अतः मुझे खेद है कि मैं इस संकल्प को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

इस विषय पर हुई चर्चा में बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए। बेकारी, शिक्षा, खाद्य व्यवस्था, इस समस्या का मनोवैज्ञानिक पहलू, देश की जनता के नैतिक तथा शारीरिक स्तर को उठाना इत्यादि बहुत से प्रश्न इस अनिवार्य सैनिक शिक्षा के सम्बन्ध में उठाये गये।

मेरे माननीय कार्यबन्धु उपरक्षा मंत्री ने इस प्रश्न पर सैनिक दृष्टिकोण से विचार कर के बताया कि इस के लिये प्रति वर्ष कोई ६०–७० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और यह व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायेगा। यदि इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाय तो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नवयुवकों की संख्या कोई दस करोड़ होगी। रक्षा उप मंत्री ने यह भी बताया कि इसी प्रकार की राष्ट्रीय छात्र सेना योजना, सहायक छात्रसेना प्रादेशिक सेना, अतिरिक्त प्रादेशिक सेना पर भी सरकार

[श्री के० डी० मालवीय]

धन व्यय कर रही है। इस का अर्थ यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश के नवयुवकों में सैनिक अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वह सभी किया जा रहा है।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण को बतलाने के बाद मैं उन कुछ बातों को बतलाना चाहूंगा जिन के अनुसार यह संकल्प एक व्यवहारिक प्रस्थापना नहीं है। यदि इस का उद्देश्य सेना के लिए सैनिकों को प्रशिक्षण देना तथा इतने विशाल पैमाने पर देश की सुरक्षा की व्यस्था करना है तो भरती तथा प्रशिक्षण के सामान्य इस अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण से कहीं अधिक सस्ते हैं।

हमें प्राथमिकताओं की सूची बनानी है अपने संसाधनों का समूहीकरण करना है और आज जैसी परिस्थिति है उस को देखे, देश के नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण देने से पूर्व और भी अत्यावश्यक कार्य करने हैं।

हम ने एक आर्थिक कार्यक्रम बनाया हुआ है जिस के लिए हमें २०० करोड़ रुपय प्रति वर्ष की आवश्यकता है, और इस कार्यक्रम को हम कार्यान्वित भी कर रहे हैं। फिर हमारी विद्युत शक्तिजनन तथा यातायात सम्बन्धी योजनायें हैं जिन के लिए हम को कोई १२५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आवश्यकता है। सामाजिक सेवा तथा पुनर्वास योजनाओं के लिए हमें पांच वर्ष के लिए कोई ४०० करोड़ रुपय से अधिक की आवश्यकता है। इस के अतिरिक्त हमारी औद्योगिक तथा कृषिकार्य के विकास सम्बन्धी योजनायें हैं। हमारे सामने बेकारी की समस्या है जिस पर हमें अविलम्ब ध्यान देना है। इस का अर्थ यह है कि जिन धनराशियों का मैं ने ऊपर निर्देश किया उन से कहीं अधिक धन हमें व्यय करना है। प्रश्न यह है कि यह सब धन आयेगा कहां से ? केन्द्र तथा राज्यों की राजस्व से होने वाली सम्पूर्ण आय ६४० करोड़ रुपये है। ऐसी अवस्था में हम अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को किस प्रकार प्रारम्भ कर सकते हैं। इस संकल्प को स्वीकार करने का अर्थ हीगा कि हम उस के सभी उपलक्षणों को स्वीकार करते हैं। अतः क्योंकि हम इसे कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं इसलिये हमें इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहिये।

परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं देश के नवयुवकों तथा विद्यार्थी वर्ग में तेज़ी से फैलती जा रही शारीरिक तथा मानसिक अवनति को रोकने के लिए कोई अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की अत्यावश्यकता को कम कर रहा हूं। राष्ट्रीय छात्र सेना तथा अखिल भारतीय भारत स्काउट संस्था इस सम्बन्ध में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। इस समय राष्ट्रीय छात्र सेना में मैं वरिष्ठ छात्र सैनिकों की संख्या २,६२,७२० है, वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या ६७५ है कनिष्ठ छात्र सैनिकों की संख्या ३००० है और कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या १६१२ है। यदि इसी छात्र सेना को बढ़ा दिया जाये तो समस्या का समाधान हो सकता है। परन्तु ऐसा करने से ही हमारे लिए उस की अर्थ व्यवस्था करना कठिन हो जायेगा। हम राष्ट्रीय छात्र-सेना के नमूने पर ही प्रशिक्षण दिये जाने का प्रबन्ध कर रहे हैं। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि स्कूलों के पाठ्य क्रम में सामूहिक क़वायद तथा शारीरिक श्रम को स्थान दिया जाये और हम ने स्कूल तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया है। शिक्षा मंत्रालय सामूहिक क़वायद तथा अनिवार्य शारीरिक शिक्षा के चालू किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा विशेषज्ञों, उपकुलपतियों तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों से

पत्र व्यवहार कर रहा है । मुझे यह कहते हर्ष होता है कि उन की प्रतिक्रिया सन्तोष-जनक रही है । सभी ने इस का स्वागत किया है। और आशा की जाती है कि शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से शीघ्र ही ऐसी कोई योजना बनाने में सफल होगी।

हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में जो तर्क दिये गये हैं उन का मैं संक्षेप में निर्देश करूंगा । मेरा यह विश्वास है कि हमारी शिक्षा पद्धति में शीघ्र ही आमूल परिवर्तन किये जाने चाहियें । परन्तु साथ ही यह बात भी है कि शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन ऐकाऐकी नहीं किया जा सकता है । परिवर्तन एक दिन या दो दिन में तो क्या एक वर्ष में भी नहीं किया जा सकता है । पुरानी शिक्षा पद्धति को सुधार कर ही उस में परिवर्तन करने होंगे ।

शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था । अतः जो भी नवीन शिक्षा प्रणाली बनाई जायेगी उस की जांच का आधार यही होगा कि क्या उस से हमारे नवयुवकों के सम्पूर्ण दृष्टिकोण में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं । परन्तु इस से और भी समस्यायें उत्पन्न होंगी क्योंकि ऐसी बातों को एकबारगी ही लागू नहीं किया जा सकता है । हमें याद रखना चाहिये कि जब हम चीन की बात कहते हैं और यह कहते हैं कि वहां काम करने वाले कमकरों की फ़ौज की फौज एक साथ काम करती है तो हमें यह भी याद रखना चाहिये कि सहस्रों वर्षों से हमारे देश में सामंतशाही का एकछत्र आधिपत्य रहा है । ऊंच नीच, बड़प्पन, जाति कुल वंश प्रतिष्ठा आदि का जो विषय हमारे शरीर में घुस गया है वह किसी एक रूप योजना के बनाये जाने तथा उस के लागू किये जाने में सब से बड़ी बाधा है । कितने व्यक्तियों का यह विश्वास है कि यह ऊंच नीच की भावना, जिन से हमारा दैनिक जीवन अब तक प्रभावित होता रहा है, शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी ? हम में से अधिकांश का यह विश्वास नहीं है । और जब हम शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने तथा शारीरिक श्रम के सम्बन्ध में एकतया दृष्टिकोण बनाये जाने की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यह सब बातें हमारे दिन प्रति दिन के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं ।

जैसा मैं ने निवेदन किया शिक्षा मंत्रालय शिक्षा विशषज्ञों की सहायता से शारीरिक श्रम के नियमित रूप से लागू किये जाने के सम्बन्ध में एक योजना तयार कर रहा है और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय किया जायगा । हमारे प्रधान मंत्री ने भी समय समय पर अनिवार्य शारीरिक श्रम की उपयोगिता पर बल दिया है और यदि राज्य सरकारों ने इस प्रस्थापना के सम्बन्ध में हमारे परामर्श को माना तो हमें विश्वास है कि आज जो मानसिक तथा शारीरिक अलसता चारों ओर फैली हुई है और जो हमारी प्रगति में सब से बड़ी बाधा है उसे हम दूर कर सकने में निश्चय ही सफल होंगे ।

डा० राम सुभग सिंह: यह प्रसन्नता का विषय है कि हाई स्कूलों और कालिजों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरम्भ करने के प्रस्ताव की वास्तविक प्रकृति को कुछ माननीय सदस्यों ने पहचाना है । परन्तु कुछ माननीय मित्रों ने इस का विरोध किया है । मैं विरोध करने वालों का भी आभारी हूं क्योंकि इस से मुझे इस प्रश्न पर कुछ कहने के लिए प्रोत्साहन मिला है । मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि देश की भावी उन्नति और प्रगति तथा जीवन सत्ता युवकों के सैनिक प्रशिक्षण में निहित है ।

विरोध का एक मुख्य आधार अहिंसा का सिद्धान्त लिया गया है और दूसरा कुछ

[डा० राम सुभग सिंह]

प्रोफेसर मित्रों ने कहा है कि इस से शिक्षा संस्थाओं की निपुणता को हानि पहुंचेगी ।

अहिंसावाद के आधार पर विरोध करने वालों के सम्बन्ध में खेद है कि वे प्रस्ताव की मूल प्रकृति और भाव को नहीं समझ सके । यह प्रस्ताव देश को सैनिकीकरण की ओर नहीं ले जा रहा । वरन् इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि युवकों में कार्यशील सहकारी तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करने और श्रम, प्रतिष्ठा, समाज सेवा और अन्य लोगों के अधिकारों का मान रखने की रुचि उत्पन्न करना है ।

कुछ माननीय मित्रों ने महात्मा गांधी के पवित्र नाम को वाद विवाद में ला कर विवाद को संकुल बना दिया है । महात्मा गांधी के अहिंसा के ढंग को हम स्वीकार करते हैं और उस के लिए वचन बद्ध हैं। कुछ ने संस्कृति और सभ्यता की दुहाई दी है । कुछ ने इसे विदेशी नीति के विरुद्ध पाया है और कुछ ने गांधी गोष्ठी की ओर निर्देश किया है । परन्तु अहिंसा की शपथ लेने वाली और विदेशी सम्बन्धों में आक्रमणकारी नीति का विरोध करने वाली भारत सरकार के पास भी एशिया के सर्वोत्तम सेना बलों में से एक है। क्या ये अहिंसा संस्कृति और सभ्यता का दम भरने वाले महानुभाव सरकार को सेना, नौ सेना तथा विमान बल समाप्त करने की मंत्रणा दे सकते हैं ? यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे प्रस्ताव का विरोध करने के अधिकारी नहीं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अन्य राष्ट्र शस्त्रों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु ऐसा कहां है ? राष्ट्रों में तो नए और अधिक भयानक शस्त्र बनाने की दौड़ लगी हुई है । कुछ वर्ष पूर्व अमरीका का अणु बम पर एकाधिकार था । तत्पश्चात् इंगलैण्ड और रूस ने बता दिया कि यह एकाधिकार नहीं रह सकता । अब अमरीका और रूस में हाईड्रोजन बम के लिए दौड़ लगी हुई है । इन परिस्थितियों और भारत की सामरिक स्थिति के कारण हमें वर्तमान सेना से संतुष्ट नहीं रहना चाहिये । यदि हमें अपने राष्ट्र की रक्षा का सच्चा ध्यान है तो हमें सेनाओं में विकास करना होगा ।

हमारी विदेश नीति में कश्मीर का उदाहरण लीजिए । वहां राष्ट्र की रक्षा सेना से ही हो सकी थी ।

दूसरी बात जो हमारे प्रोफेसर ने कही मैं उस से सहमत नहीं हूं । वे उन स्कूलों और कालिजों के सम्बन्ध में सोच रहे हैं जो स्वास्थ्यहीन क्लर्कों का निर्माण करते हैं । आप ने २६ जनवरी और हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को गार्ड आफ आनर देने के अवसर पर देहली के लड़के और लड़कियों की परेड देखी होगी । मैं ने सुना है कि इन परेडों और ड्रिलों द्वारा शिक्षा सुधा की पिपासा में कमी नहीं होती । देहली राज्य ने चार विषयों के प्रशिक्षण का निर्णय किया है । वे विषय हैं (१) युवकों का बौद्धिक नैतिक तथा शारीरिक विकास, (२) देश प्रेम तथा आत्मविश्वास का विकास, (३) समाज सेवा और श्रम प्रतिष्ठा का प्रशिक्षण । मेरे प्रस्ताव की परिभाषा में वह इस से कुछ ही अधिक होगा । इस से बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो सकता है । इसलिए अन्य राज्य सरकारों को भी इस के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । इस द्वारा हम सब प्रकार के विकास कार्यों में स्वयंसेवक प्राप्त कर सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य का आक्षेप था कि लड़कियों को सैनिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिये । परन्तु अब भारतीय नारी को

अधिक देर संस्कृति और सभ्यता के पाश में नहीं बांधे रहना चाहिये। एक दिन माननीय गृह मंत्री ने बताया था कि गत वर्ष देहली में १४७ स्त्रियों और बच्चों का अपहरण हुआ। नारियों में अपहरण कर्ताओं और दूसरे असमाजिक अंशों का सामना करने की शक्ति होनी चाहिये। इस से संस्कृति को कोई खतरा नहीं पहुंचता। मैं चाहता हूं कि भारत की लड़कियां झांसी की रानी लक्ष्मी के पग चिन्हों पर चलें।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय उपमंत्रियों श्री सतीशचन्द्र और श्री के० डी० मालवीया ने मेरे प्रस्ताव के उद्देश्य को स्वीकार किया है। वे एन० सी० सी० तथा प्रादेशिक सेना को बढ़ा रहे हैं तथा सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में सेना प्रशिक्षण आरम्भ कर रहे हैं। मैं उन के सुझाव को स्वीकार करता हूं और अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। परन्तु नियम २४१ में यह अपेक्षित है कि संशोधन सभा के मत के लिए रखे जाने चाहियें। एक संशोधन श्री उमा चरण पटनायक का है। यदि वे इसे वापस लेना चाहते हैं तो ठीक है अन्यथा मुझे संशोधन प्रस्तुत करना होगा।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं सच्चे हृदय से तो इसे वापस नहीं लेना चाहता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

मूल प्रस्ताव के लिए यह आदिष्ट किया जाये कि राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए स्कूल तथा कालज के छात्रों के लिए सैनिक शिक्षा का उपबन्ध हो।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : फिर श्री गोपालन का संशोधन है।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर): मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनज्ञा चाहता हूं।

सभा की अनुज्ञा द्वारा मूल प्रस्ताव वापस लिया गया।

बेकारी सम्बन्धी संकल्प

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "सदन की यह राय है कि देश में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने तथा बेकारों को सहायता देने के लिये तात्कालिक उपाय किये जायें।"

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

श्री ए० के० गोपालन : बेकारी का प्रश्न आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के अधिवेशन में भी इस प्रश्न को हल करने पर विचार किया गया था। मैं समझता हूं कि इस विचार से सभी सहमत होंगे कि बेकार लोगों को कुछ सहायता दी जाय। देश के विभिन्न भागों में बेकारी के प्रश्न पर बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। बम्बई जो कुछ न कुछ काम पा जाने का केन्द्र समझा जाता था आज वहां भी बड़ी दयनीय दशा है।

[बम्बई की दशा का वास्तविक चित्र उपस्थित करने के लिये 'फ्री प्रेस जर्नल' नामक पत्र के सम्पादकीय को पढ़ कर सुनाया गया]

आज देश में चारों ओर आत्म हत्या तथा भुखमरी के समाचारों से समाचार पत्र भरे रहते हैं। इतना ही नहीं अकाल, बीमारी तथा अपर्याप्त पोषण से बच्चों की मृत्यु संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी दशा किसी एक राज्य में नहीं वरन् समुचे भारत में है।

करेला में ब्रिटिश-अधिकृत टेक्सटाइल उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों की बड़ी दयनीय अवस्था है। वर्ष के लगभग आठ माह पश्चिम तट के मछवे बेकार रहते हैं। कालीकट में न केवल व्यापारी ही वरन्

[श्री ए० के० गोपालन]

अन्य सभी धन्धों के लोग बेकार हैं। छंटनी तथा फैक्ट्रियों के बन्द हो जाने से होटल तथा सिनेमा आदि पर भी बेकारी का ही आधिपत्य है।

काम दिलाऊ दफ्तार के आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर १९४७ से अक्तूबर १९५२ तक बेकारों की संख्या १,७५,६०४ से ३,६४,६७९ हो गई है। यह संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। गांवों में बेकारी ३० प्रतिशत है यह पंच वर्षीय योजना द्वारा सिद्ध हो जाता है। योजना में कहा गया है कि १९५५–५६ तक ५२,५४,००० अतिरिक्त व्यक्तियों को इन औद्योगिक तथा अन्य स्थानों पर काम दिया जा सकेगा। यदि हम इस पंच वर्षीय योजना के बीते हुए काल को देखें तो पता लगता है कि रजिस्टर किये गए बेकारों की संख्या में १,८४,९४६ की और कुल वृद्धि हुई है। इस के अतिरिक्त रिक्त-स्थानों की संख्या घटती जा रही है। इस प्रकार जहां चालू रजिस्टरों में ५० प्रतिशत बेकारों की वृद्धि हुई है, वहीं काम मिलने वालों की संख्या में भी पंच वर्षीय योजना के पिछले दो वर्षों में कमी हुई है।

अब शिक्षित बेकारों की दशा देखिये। कलर्कों तथा अध्यापकों की कौन कहे जब कि इंजीनियरिंग के ८३२ तथा चिकित्सा के १५० स्नातक भी इस महामारी (बेकारी) के शिकार हैं। राजस्थान में कुछ स्नातक चपरासी तक हैं ऐसा अखबारों द्वारा पता लगता है। इतना ही नहीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत नये खोले जाने वाले प्रायमरी स्कूलों में अध्यापकों के स्थान के लिये ५००० स्नताकों तथा उत्तर-स्नातकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। मण्लेश्वरम् तहसील में डिस्ट्रिक्ट नेशनल सेविंग आफिस में एक स्नातक चपरासी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इन शिक्षित बेकारों की संख्या दिन प्रति दिन घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। और बेकार ग्रामीणों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उन को रजिस्टर करने का कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि इस संबंध में आंकड़े पूर्ण नहीं हैं और बहुत से बेकार लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है। मैं ने एक तालिका विभिन्न उद्योगों की तयार की है किन्तु वह भी अपूर्ण है क्योंकि पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते।

इस के अतिरिक्त अभिनवीकरण के फलस्वरूप छंटनी तथा करघों के बन्द हो जाने के कारण अन्य व्यवसायों की स्थिति भी बड़ी दयनीय है।

आज खाद्य वस्तुओं का मूल्य इतना बढ़ता जा रहा है और जीवन-स्तर इतना ऊंचा होता जा रहा है कि बेकार लोग अपने आश्रितों का पालन करने में सर्वथा असमर्थ हैं।

दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई है कि एक माह पूर्व ट्रावनकोर-कोचीन, आंध्र, बिहार तथा उत्तर प्रदेश आदि में बड़े जोरों की बाढ़ आई है जिस से बेचारे किसान लगान भी न चुका सकेंगे और न अगली फसल ही बो सकेंगे।

अतः इस बेकारी का कारण चाहे कुछ भी क्यों न हो किन्तु तात्कालिक सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है नहीं तो भुखमरी से होने वाली मृत्युओं को रोका नहीं जा सकेगा। जब तक लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये कोई उपाय नहीं किया जायगा लोगों की मांगें अपने देश की बाजारों से पूरी नहीं होंगी, तब तक जीविका का प्रश्न हल नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि तमाम स्टाक इकट्ठा पड़ा रहने से मिल मालिकों को फैक्ट्रियां बन्द कर देनी पड़ी हैं। इस के अतिरिक्त दवाइयों, लोहा तथा स्पात

एवं अन्य आवश्यक उद्योगों पर अंगरेजों का अधिपत्य होने से राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में और भी धक्का पहुंचा है। सरकार को चाहिये कि वह अमरीका आदि से वस्तुएं न मंगा कर उन का उत्पादन यहीं करने का प्रयत्न करे जिस से देश को करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है।

इस के अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पुनर्व्यवस्था करने के नाम पर न जाने कितने अध्यापकों, डाक्टरों तथा अन्य लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अनेक शरणार्थी कैम्पों को मिलने वाले ऋण भी बन्द किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये फरीदाबाद के बने जूतों का तमाम स्टाक भरा पड़ा है जिसे कोई पूछता भी नहीं। यदि सरकार अपना ऋण इन शरणार्थियों से वापस चाहती है तो उस का कर्तव्य है कि पहले वह इन वस्तुओं को निकालने का प्रबन्ध करे।

योजना कमीशन के ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के अनुसार बताया गया है कि बेकारी का प्रश्न हल किया जायगा। इस के द्वारा कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया है। अंगरेजों ने हमारे करघा उद्योग को नष्ट करने का अथक प्रयास किया और असफल रहे किन्तु हमारी अपनी सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के छः वर्ष के अन्दर ही इस उद्योग को तहस-नहस कर डाला। इस के कारण चाहे कुछ भी हों किन्तु हमें नये सिरे से नये व्यक्तियों द्वार इस का पुनरुद्धार करना होगा। ग्यारह सूत्री कार्यक्रम में इन हथकरघा बुनकरों के उत्पादन के लिये बाजार की व्यवस्था के सम्बन्ध मे कोई बात नहीं कही गई है। अतः पहले हमें कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवन देना है और तत्पश्चात् उत्पादन के लिये बाजार की व्यवस्था। इस के लिये यह परमावश्यक है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाय ताकि वे ये वस्तुएं क्रय करने में समर्थ हो सकें। आज हमारे ८० प्रतिशत लोग भूमि पर ही निर्भर हैं। और जहां तक कृषकों तथा भूमि के जोतने वालों का सम्बन्ध है उन की स्थिति क्या है ?

श्री टी० के० चौधरी: मैं चाहूंगा कि योजना आयोग की कथित योजना जो बेकारी दूर करने के लिये बनी है, सदन के सदस्यों में वितरित कर दी जाय।

इस के पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, २४ अगस्त १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।